सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सविता

अर्धवार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका

अक्तूबर 2023-मार्च 2024

प्रकाशक
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय,
केरल तिरुवनंतपुरम

सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सविता

अर्धवार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका

अक्तूबर 2023-मार्च 2024

प्रकाशक

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय,
केरल तिरुवनंतपुरम

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सविता

अर्धवार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका

अक्तूबर 2023-मार्च 2024

39 वां अंक

पत्रिका परिवार

संरक्षक

श्री एस सुनील राज

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

संपादक मण्डल

मुख्य संपादक

श्री मोहम्मद डानिश

उप महालेखाकार(प्रशासन)

सदस्य

श्री बीजु एम डेविड

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

श्रीमती आशा जे आर

हिन्दी अधिकारी

सुश्री अनीता दास

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

श्री विष्णु एस पी

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक

पत्रिका में प्रस्तुत विचार रचनाकारों के व्यक्तिगत विचार है, सम्पादक मंडल की हमति आवश्यक नहीं है।

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारी कार्यालयीन गृह पत्रिका "सविता" के 40वें अंक के ई संस्करण प्रकाशन किया जा रहा है। हिंदी भाषा हमारे देश की समृद्ध संस्कृति एवं संस्कारों का प्रतिबिम्ब है और साथ ही राजभाषा के रूप में भी हिंदी राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। अतः हिंदी के प्रति प्रेम एवं सम्मान व्यक्त करना हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य है।

हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से कार्यालय स्तर पर हिंदी में विचारों की अभिव्यक्ति का उचित अवसर प्रदान करना है, ताकि व्यापक पैमाने पर हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार-प्रसार किया जा सकें। "सविता" पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए कार्यालय के अधिकारीगण और कर्मचारीगण ने प्रेरणा एवं लगन से साहित्यिक प्रतिभा को नवीनतम रूप में अभिव्यक्त किया है।

मैं "सविता" के अविराम प्रकाशन से जुड़े हुए सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हिंदी पत्रिका का सफल प्रकाशन होता रहेगा।

एस सुनील राज
प्रधान महालेखाकार

संपादकीय

हमारे कार्यालय से प्रकाशित होनेवाली हिंदी गृह पत्रिका "सविता" के 40वें अंक के प्रकाशन से अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है । राजभाषा संपूर्ण भारतवर्ष को जोड़नेवाली एक सेतु है । यह भाषा विविध भाषाई और सांस्कृतिक परिदृश्य को एक साथ जोड़ने में एकीकृत भूमिका निभाती है । एक भाषा के रूप में हिंदी संचार के माध्यम के रूप में कार्य करती है जो लोगों और क्षेत्रों को जोड़ती है, राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देती है । "सविता" का अविरत प्रकाशन कार्यालय में राजभाषा के प्रति निष्ठा दर्शाता है । कार्यालय में हिंदी के लिए एक सहज वातावरण सृजित करने में और रचनात्मक प्रतिभाओं को उकेरने में कार्यालयीन पत्रिका सफल रही है ।

इस अंक में हमने पदधारियों के विभिन्न लेख, कविताएँ और कहानियों के साथ ही विभिन्न कार्यालयीन गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला है । अपनी रचनाओं से इस पत्रिका को संवारने में योगदान दिए सभी रचनाकार बधाई के पात्र है और इसके सफल संपादन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं । इस पत्रिका में समाविष्ट रचनाओं और साज-सज्जा से संबंधित अपने बहुमूल्य सूझावों से हमें अनुग्रहीत करें ताकि आगामी अंकों को और अधिक उत्कृष्ठ बना सकें ।

मोहम्मद डानिष
उप महालेखाकार/प्रशा.

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 *और* 351 *तथा राजभाषा संकल्प* 1968 *के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे । हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे ।*

जय राजभाषा ! जय हिंद !

सुश्री अनिता दास
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

फिर से: आवारगी या दीवानगी

जब मैं पहली बार तुझसे मिली थी
और तुझसे मिलकर तुझमें खोई थी
उसे फिर से पाना चाहती हूँ
पर आज तुझको खोकर
फिर से तुझे पाना चाहती हूँ।

हाथ छोड़ रही हूँ ताकि
फिर से काबिल बन सकूँ
और अपनी भी ज़िंदगी में
फिर से पूरी तरह शामिल हो सकूँ
इतना प्यार लूटाया है तुझ पर
कि शायद किसी और को देने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं
पर अब जो तुम पहले जैसा नहीं रहे,
इसे नज़रअंदाज करूँ
इसकी कोई वजह भी नहीं।

जाओ मुबारक हो तुम्हें
ये बिन माँगी अपनी ये आज़ादी
यही कहना चाहती हूँ

पर सच तो यह है कि
मैं आज भी एकबार फिर से तुमसे मिलना चाहती हूँ।
आदत नहीं, इबादत हो तुम मेरे
सिर्फ चाहत ही नहीं मेरी पहली और आख़िरी मोहब्बत हो तुम
आओगे इस बार तो पूरी शिद्दत से आना
एक अज़नबी-सा ख़्वाब बनकर
फिर अपना नाम और पहचान बताना।
आज तुझसे बस यही कहना चाहती हूँ,
क्योंकि सच तो यह है कि
मैं आज भी एकबार फिर से
तुझे पहली बार मिलना चाहती हूँ।

आवारगी कहूँ या इसे दीवानगी
मैं एक बार फिर से सबकुछ भूलकर
तुझे पाना चाहती हूँ
पर सच तो यह है कि
इंतज़ार हक है मेरा
आना और न आना जिम्मेदारी है तुम्हारी
मैं एकबार फिर से तुझसे मिलकर
तुझमें खोना चाहती हूँ।

सुश्री के एस मीनाक्षी
सुपुत्री श्रीमती जे आर आशा
हिंदी अधिकारी

भानु अथैया

'ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?' इस प्रश्न के उत्तर में सामान्य ज्ञान पत्रिकाओं और क्वेशन बैंकों के माध्यम से भानु अथैया का नाम कुछ लोगों के लिए परिचित हो सकता है, जिनकी उपलब्धियां कपड़ा व्यापार और कलात्मकता के गौरवशाली अतीत वाले भारत को सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिज़ाइन के लिए अकादमी पुरस्कार जीतकर वैश्विक सिनेमा मंच पर लाने से कहीं आगे तक जाती है। ऐसे युग में जब फिल्म उद्योग कहानी के संदर्भ पर ज्यादा विचार किए बिना अक्सर पश्चिम से अपनाए जाने वाले नवीनतम रुझानों के अनुसार अपने सितारों को कपड़े पहनाता था, उसके स्थान पर व्यापक शोध के बाद तैयार किए गए चरित्र केंद्रित डिजाइनें एक महत्वपूर्ण पथप्रदर्शक दृष्टिकोण बन गया। यह आज भी भारतीय सिनेमा और समाज को प्रभावित करता है। भानु अथैया भारतीय फिल्म उद्योग के सौंदर्यशास्त्र का ध्यान आधुनिकता के साथ-साथ प्रामाणिक भारतीय कलात्मकता की ओर केंद्रित करके विशेष रूप से अपने डिजाइनों के माध्यम से भारतीय नारीत्व की एक नई सशक्त पहचान का प्रतीक बन गया। भारतीय सिनेमा की कुछ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में उनका उत्कृष्ट स्पर्श था, जैसे कि गुरु दत्त की प्यासा (1957), विजय आनंद की गाइड (1965) और बहुत कुछ, जिसमें न केवल दृश्य आकर्षण शामिल था, बल्कि दर्शकों के लिए कहानी और चरित्र मानस के भीतर बदलाव का संचार करने वाले अभिन्न कथानक उपकरण भी शामिल थे।

1929 में कोल्हापुर की तत्कालीन रियासत में एक कलाकार और फिल्म निर्माता पिता और कढ़ाई में निपुण माँ की पुत्री के रूप में जन्मे भानुमती अन्नासाहेब राजोपाध्याय, स्वतंत्रता संग्राम के अशांत शिखर के दौरान बड़े हुए और बाद में भारतीय स्वतंत्रता की परिपक्व सुबह देखी। यह तब था जब सेल्युलाइड दृश्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया, जहां भारतीयों ने पहली बार इसकी बागडोर संभाली, उन्होंने खुद को सिल्वर स्क्रीन पर लिखा, स्वतंत्र भारतीय लोगों और उनकी आकांक्षाओं को विभिन्न रंगों में प्रस्तुत किया। अभिनेता भारतीय जनता की कल्पना का विस्तार बन गए, जिससे राष्ट्र ने उनके स्टारडम की ऊंचाइयों के बीच खुद को प्रतिबिंबित होते देखा।

छोटी उम्र से ही वह बारीकियों पर गहरी नजर रखती थी, जैसे कि अपने पिता की फिल्मों के अभिनेताओं को देखकर और पश्चिमी फैशन कैटलॉग जो उसके पिता उसकी मां के लिए घर लाते थे और हर जगह से बिना किसी भेदभाव से प्रेरणा लेती थी। उनके बचपन के आत्मकथात्मक नोट्स में से कुछ में पढ़ा गया है- "नायिका का रंग साधारण सोने की ज़री बॉर्डर वाली काली साड़ी से और भी निखर जाता है।" – इसमें इस जिज्ञासु युवा मन का स्पष्ट पूर्वाभास झलकता है।

उनके सम्पूर्ण कला जीवन में भारत का विशाल कैनवास और नारी स्वरूप हमेशा उनकी प्रेरणा का प्रमुख स्रोत बने रहे। उन्होंने जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में लघु चित्रकला में अध्ययन किया, जो एकमात्र प्रामाणिक भारतीय पाठ्यक्रम था और शीघ्र ही उषा देशमुख स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कलाकार बन गईं। इस उपलब्धि ने कई लोगों का ध्यान खींचा, यहाँ तक कि एफ एन सूजा, एम एफ हुसैन और एस एच रजा जैसे आधुनिक भारत के प्रतिष्ठित कलाकारों का एक विशिष्ट क्लब उनकी कृतियों को उनकी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिए अवसर दिया। इस तरह से महिलाओं पर थोपे गए बंधनों को तोड़ने के बावजूद, कला की दुनिया अभी भी काफी हद तक पुरुषों का क्लब बनी रही, जो महिला उम्मीदवारों के प्रति कठोर और कृपालु है, जिसके कारण भानु को फैशन की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। शुक्र है कि वह एक ऐसी महिला के साथ रह रही थी, जो लोकप्रिय महिला पत्रिका ईव्स वीकली में काम करती थी, जहाँ बाद में अपने रेखाचित्रों के लिए पहचाने जाने के बाद वह एक चित्रकार के रूप में शामिल

हो गई। यहीं पर उन्होंने युवा महिलाओं के लिए एक फैशन प्रभावकार की भूमिका निभाना शुरू कर दिया क्योंकि नए युग की साड़ी और विभिन्न ब्लाउज जोड़ियों का उद्देश्य भारतीय युवाओं के लिए स्वतंत्रता के बाद की शैली की संवेदनशीलता पैदा करना था । पत्रिका के एक संस्करण में प्रकाशित स्केच 'लेसी फॉर लेट नाइट्स' में भानु ने रात में पहनी जाने वाली पेस्टल लैसी साड़ियों के लिए एक शानदार स्केच की सिफारिश की है, जो देर तक बाहर रहने और एक जीवंत समय बिताएं इस उद्धेश्य के साथ एक स्टाइलिश आधुनिक भारतीय महिला के विचार को लोकप्रिय बनाती है। जब पत्रिका ने अपना बुटीक खोला, तो भानु के डिज़ाइन बहुत लोकप्रिय बने, जिन्होंने नरगिस जैसे सेलिब्रिटी ग्राहकों और फिल्म उद्योग की नज़रों को आकर्षित किया।

"मुझे कभी दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी" - भानु ने सितारों द्वारा अपनी मर्जी से फिल्म निर्माताओं को उनकी सिफारिश करने के बारे में कहा। उन्होंने 1953 में देवेन्द्र गोयल की फिल्म आस के साथ सिनेमा के लिए डिजाइनिंग में अपना पहला कदम रखा, जिसने कई फिल्म निर्माताओं के लिए भविष्य की परियोजनाओं में उनका हाथ बंटाने के दरवाजे खोल दिए। 1955 की ब्लॉकबस्टर श्री 420 की रिलीज के बाद नादिरा के लिए बनाए गए उनके डिजाइन शहर में चर्चा का विषय बन गए और अगले साल उन्हें गुरु दत्त की सी.आई.डी. के साथ अपना पहला बेहद सफल प्रोजेक्ट मिला, जिसके बाद वह गुरु दत्त टीम का हिस्सा बन गईं।

अक्सर 'निर्देशक के डिजाइनर' के रूप में सराहा हुआ भानु ने भारतीय फिल्म उद्योग को

फैशन के मुकाबले वेशभूषा को स्पष्ट प्राथमिकता देने का दर्शन दिया। फैशन से अलग पोशाक का विचार उनके आगमन से पहले एक अनसुनी अवधारणा थी, जिसने चरित्र निर्माण के लिए एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण लाया, जहां वेशभूषा न केवल स्क्रीन पर अभिनेताओं को सुंदर बनाने की कोशिश करती थी, बल्कि कहानी को एक साथ बुनती थी और कहानी में प्रत्येक चरित्र के भीतर क्या स्थान रखती है, उसे आकार देती थी। उनकी बेटी राधिका गुप्ता के अनुसार वह एक 'वन वुमन आर्मी' थीं, जिन्होंने संग्रहालयों में विचरण करने और पारंपरिक कढ़ाई पढ़ने, सड़की बाजारों से पारंपरिक और प्रामाणिक कपड़े और आभूषणों को मंगाने और दर्जी की अपनी टीम को संभालने जैसे अपनी परियोजनाओं में अनुसंधान केलिए घंटों समर्पित किया। "मुझे याद है जब वह 'रेशमा और शेरा' पर काम कर रही थी, उन्होंने राजस्थान के भीतर बड़े पैमाने पर यात्रा की। वेशभूषा पर काम करने से पहले उसकी बारीकियों को समझने के लिए वह एक शादी में भी शामिल हुईं।" एक इंटरव्यू में राधिका गुप्ता अपनी मां के कार्य करने की तरीका को याद करती हैं।

1962 में 19वीं सदी के बंगाल पर आधारित गुरुदत्त की फिल्म 'साहिब, बीबी और गुलाम' के लिए भानु ने उस युग की शैलियों पर शोध करने के लिए कलकत्ता की यात्रा की। यह फिल्म सामंती पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की विवश स्थिति पर एक आलोचना है, जो गुरु दत्त के विख्यात छाया और प्रकाश के माध्यम से दर्शकों को हवेली के सीमित कमरों में डुबो देती है। उच्च वर्ग की महिलाओं के घिसे-पिटे जीवन का सामना करने वाली मीनाकुमारी का किरदार

गहरे रंग की पोशाक के साथ-साथ प्राइम और उचित हेयर स्टाइल के साथ-साथ भारी आभूषणों, अलंकृत चूड़ियों से लगभग बेड़ियों जैसा दिखता था। दूसरी ओर, वहीदा रहमान का चरित्र जो मध्यम वर्ग की प्रतिनिधि है, उसे ढीले बाल, सूती जैसे अधिक लचीले आरामदायक कपड़े और लेस जैसे पश्चिमी चीजों के साथ दिखाया गया था।

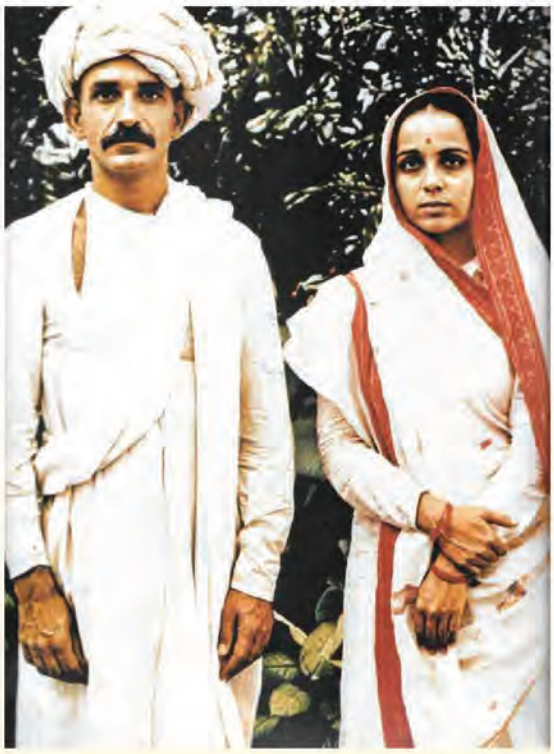

आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित और व्यापक रूप से बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली प्रसिद्ध देव आनंद अभिनीत फिल्म गाइड उनकी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने वहीदा रहमान को ऐसे कपड़े पहनाए थे, जिन्होंने एक अनचाहे विवाह में एक कर्तव्यपरायण पत्नी के पारंपरिक मानदंडों से बंधी हुई रोजी की भूमिका निभाई थी जो आजादी के लिए तरसती थी और नृत्य के प्रति अपने दमित प्रेम को पुनः प्राप्त करने की चाहत में थी। फिल्म में नायिका के मिजाज के हिसाब से ही वेशभूषा पहनाए गए हैं, फिल्म की शुरुआत में रोजी ने चमकदार लाल साड़ी पहनी हुई है, जब उसका सामना देव आनंद के चरित्र गाइड से होता है, जो उसकी इच्छा का प्रतीक है, जब वह आत्म-अभिव्यक्ति और जुनून के लिए साँप नृत्य करती है, तो लाल रंग फिर सामने आता है। नरम गुलाबी और हल्की सफेद साड़ियाँ रोमांटिक दृश्यों को सुशोभित कर रही थीं और एक आसमानी नीली साड़ी रोजी को उसके पीछे के आकाश के साथ मिला रही थी जैसे कि उन्होंने अपनी बंधन बांधी पायल को छोड़ा और 'आज फिर जीने की तमन्ना है' गीत में मुक्ति का गीत गाया। लहराती हुई नीली साड़ी को इस तरह से पिन किया गया था

फैशन के मुकाबले वेशभूषा को स्पष्ट प्राथमिकता देने का दर्शन दिया। फैशन से अलग पोशाक का विचार उनके आगमन से पहले एक अनसुनी अवधारणा थी, जिसने चरित्र निर्माण के लिए एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण लाया, जहां वेशभूषा न केवल स्क्रीन पर अभिनेताओं को सुंदर बनाने की कोशिश करती थी, बल्कि कहानी को एक साथ बुनती थी और कहानी में प्रत्येक चरित्र के भीतर क्या स्थान रखती है, उसे आकार देती थी। उनकी बेटी राधिका गुप्ता के अनुसार वह एक 'वन वुमन आर्मी' थीं, जिन्होंने संग्रहालयों में विचरण करने और पारंपरिक कढ़ाई पढ़ने, सड़की बाजारों से पारंपरिक और प्रामाणिक कपड़े और आभूषणों को मंगाने और दर्जी की अपनी टीम को संभालने जैसे अपनी परियोजनाओं में अनुसंधान केलिए घंटों समर्पित किया। "मुझे याद है जब वह 'रेशमा और शेरा' पर काम कर रही थी, उन्होंने राजस्थान के भीतर बड़े पैमाने पर यात्रा की। वेशभूषा पर काम करने से पहले उसकी बारीकियों को समझने के लिए वह एक शादी में भी शामिल हुईं।" एक इंटरव्यू में राधिका गुप्ता अपनी मां के कार्य करने की तरीका को याद करती हैं।

1962 में 19वीं सदी के बंगाल पर आधारित गुरुदत्त की फिल्म 'साहिब, बीबी और गुलाम' के लिए भानु ने उस युग की शैलियों पर शोध करने के लिए कलकत्ता की यात्रा की। यह फिल्म सामंती पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की विवश स्थिति पर एक आलोचना है, जो गुरु दत्त के विख्यात छाया और प्रकाश के माध्यम से दर्शकों को हवेली के सीमित कमरों में डुबो देती है। उच्च वर्ग की महिलाओं के घिसे-पिटे जीवन का सामना करने वाली मीनाकुमारी का किरदार गहरे रंग की पोशाक के साथ-साथ प्राइम और उचित हेयर स्टाइल के साथ-साथ भारी आभूषणों, अलंकृत चूड़ियों से लगभग बेड़ियों जैसा दिखता था। दूसरी ओर, वहीदा रहमान का चरित्र जो मध्यम वर्ग की प्रतिनिधि है, उसे ढीले बाल, सूती जैसे अधिक लचीले आरामदायक कपड़े और लेस जैसे पश्चिमी चीजों के साथ दिखाया गया था।

आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित और व्यापक रूप से बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली प्रसिद्ध देव आनंद अभिनीत फिल्म गाइड उनकी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने वहीदा रहमान को ऐसे कपड़े पहनाए थे, जिन्होंने एक अनचाहे विवाह में एक कर्तव्यपरायण पत्नी के पारंपरिक मानदंडों से बंधी हुई रोजी की भूमिका निभाई थी जो आजादी के लिए तरसती थी और नृत्य के प्रति अपने दमित प्रेम को पुनः प्राप्त करने की चाहत में थी। फिल्म में नायिका के मिजाज के हिसाब से ही वेशभूषा पहनाए गए हैं, फिल्म की शुरुआत में रोजी ने चमकदार लाल साड़ी पहनी हुई है, जब उसका सामना देव आनंद के चरित्र गाइड से होता है, जो उसकी इच्छा का प्रतीक है, जब वह आत्म-अभिव्यक्ति और जुनून के लिए साँप नृत्य करती है, तो लाल रंग फिर सामने आता है। नरम गुलाबी और हल्की सफेद साड़ियाँ रोमांटिक दृश्यों को सुशोभित कर रही थीं और एक आसमानी नीली साड़ी रोजी को उसके पीछे के आकाश के साथ मिला रही थी जैसे कि उन्होंने अपनी बंधन बांधी पायल को छोड़ा और 'आज फिर जीने की तमन्ना है' गीत में मुक्ति का गीत गाया। लहराती हुई नीली साड़ी को इस तरह से पिन किया गया था

कि वहीदा साड़ी के पल्लू के गिरने की चिंता किए बिना नृत्य कर सके, बंधनमुक्त हो सके और गाने की भावना को सही मायने में साकार कर सके।

जब उसकी पेशेवराना अंदाज की बात आती है तो यह भानु की सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी; उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि कपड़े कलाकारों के शरीर के अनुरूप हों और इस बात का बहुत ध्यान रखती थीं कि वे सुंदरता और कामुकता को व्यक्त कर सकें और साथ ही साथ पुरुषों की नजरों को भी प्रभावित कर सकें । 'आदमी और इंसान' में मुमताज के बोल्ड आउटफिट्स में न्यूड टोन के साथ ब्लैक नेट और आकर्षक सिल्हूट शामिल थे, जो उनकी कमर को रेखांकित करते थे और बिना कर्कश हुए सेक्सी और आकर्षक के बीच की रेखा को संतुलित करते थे । तीसरी मंजिल में हेलेन द्वारा पहनी गई फ्लेमेंको पोशाक इस बात का एक और सुंदर उदाहरण है कि कैसे भानु ने एक महिला केंद्रित दृष्टिकोण के साथ कामुकता को बुना, साथ ही चरित्र में फिट होने के लिए पश्चिमी स्टाइल के प्रति रिझन से प्रेरणा भी शामिल की । "भानु जी अपने समय से आगे थी; वह ऐसे कपड़े बना सकती थी जो आपको कामुक तो दिखाएं लेकिन अश्लील नहीं; कुछ ऐसा जो आपके फिगर को निखारता है, जैसे 'दो अंजाने' [1978] में उनके द्वारा डिजाइन की गई शिफॉन पोशाकें, "अभिनेत्री रेखा लिखती हैं, जिन्हें कई फिल्मों में भानु ने कपड़े पहनाए थे – जिसमें सबसे प्रमुख 'मुकद्दर का सिकंदर' में उनकी वेश्या की भूमिका थी ।

आराम और गतिशीलता उनके डिजाइनों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी । वह कैमरे को चकमा देकर यह विश्वास दिलाती है कि 'साहिब, बीबी और गुलाम' के गाने 'पिया ऐसो जिया में' के दौरान मीनाकुमारी जिस साड़ी में झूल रही थीं, वह एक प्रामाणिक ढाकाई जामधानी है, जब इसे वास्तव में ढाकाई के लुक की नकल करने के लिए नेट पर हाथ से कढ़ाई की गई थी । ब्रह्मचारी में मुमताज द्वारा पहनी गई मशहूर नारंगी प्री-प्लेटेड साड़ी में एक ज़िप शामिल था और आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में, एक ऐसा गीत जिसकी धुन पर पीढ़ियां अपने पैर थिरकाने लगीं, ट्विस्ट करते समय उनके फ्री मूवमेंट को तेजी लाने के लिए चतुराई से भड़कीला कर दिया गया था । इस साड़ी ने आधुनिक साड़ी गाउन को भी जन्म दिया; लोकप्रिय भारतीय फैशन में भानु अथैया के डिज़ाइनों के कारण उत्पन्न हुई कई लहरों में से एक । वक्त में साधना और शर्मिला टैगोर द्वारा पहने गए घुटने तक की लंबाई वाले कुर्ते के साथ टाइट फिटेड चूड़ीदार अपने आकर्षक लुक के लिए शहरी युवा महिलाओं के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गए और एक सिग्नेचर लुक बन गए, जिसका अनुकरण आज भी देश भर में मध्यम वर्ग की कॉलेज की लड़कियों और युवा द्वारा किया जाता है ।

भारत भानु का सबसे निरंतर आकर्षण बना रहा क्योंकि उन्होंने स्थानीय और हस्तनिर्मित में मूल्य और सुंदरता देखी, भारत की कई संस्कृतियों और कलाओं के टुकड़ों को अपनी परियोजनाओं में शामिल किया । आम्रपाली के लिए पोशाक डिजाइन का काम करते समय, उन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाओं में दिन बिताए, जहां की दीवार पेंटिंग वैजंतीमाला के चरित्र की पोशाक से प्रेरित थीं, जो एक महल

नर्तकी थी जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। उन्होंने 'आरज़ू' में साधना के किरदार के कपड़ों में कश्मीरी शिल्प और 'लगान' के लिए बांधनी जैसे राजस्थानी पारंपरिक रूपांकनों को शामिल किया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उसने जानबूझकर ग्रामीणों के लिए मैचिंग चोली सेट नहीं बनाए क्योंकि वह चरित्र के दृष्टिकोण से वास्तविक रूप से समझती थी कि यह एक विलासिता है। कुमार साहनी की कलात्मक कृति खयाल गाथा के लिए, अथैया ने मुख्य भूमिका निभाने वाली मीता वैश्य को नीले, फ़िरोज़ा और पन्ना रंग के कपड़े पहनाए, जो न केवल सिनेमैटोग्राफी से मेल खाते थे, बल्कि हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल के नीले मूड को भी उजागर करते थे। वशिष्ठ अपने कपड़ों के बारे में कहते हैं, "ऐसा लगता है जैसे उसने हमारी त्वचा पर एक सुंदर दूसरी त्वचा डाल दी है।"

भारत की गरिमामयी संस्कृति के प्रति गौरव और उसकी बारीकियों को अपनी कला में कैद करने के प्रति यह समर्पण की भावना ही प्रतिष्ठित निर्देशक रिचर्ड एटनबरो को भानु को गांधी के लिए पोशाक डिजाइन का प्रभार सौंपने के लिए राजी किया। रिचर्ड एटनबरो कहते हैं, "गांधी' को आकार देने में मुझे 17 साल लग गए, और यह मन बनाने में 15 मिनट ही लगा कि भानु अथैया सैकड़ों भारतीय पोशाकें बनाने के लिए सही व्यक्ति है, जिन्हें स्क्रीन पर लाने के लिए आवश्यक होगी।" 1885 से 1948 की एक विस्तृत समयरेखा के माध्यम से भारत को दर्शानेवाले फिल्म में अथैया को पूरे कलाकारों को सैकड़ों की संख्या में जीवंत करने, उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से कपड़े और सिल्हूट पहनने की चुनौती दी गई थी। उनकी कड़ी मेहनत ने अंततः न केवल उन्हें 1993 में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता, लेकिन धोती-सलवार और नेहरू जैकेट के उनके डिजाइन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों के स्केचबोर्ड पर उभरे और भारत को फैशन के वैश्विक मानचित्र पर इस हद तक आगे बढ़ाया कि आधुनिक भारत के किसी भी अन्य कलाकार से तुलना नहीं की जा सकती।

चरित्र स्वभाव, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के साथ-साथ अभिनेताओं के आराम और सहजता के प्रति संवेदनशील डिजाइनों के माध्यम से पात्रों में जीवन को उजागर करने का उनका जुनून, बारीकियों पर उनका सौम्य लेकिन दृढ़ ध्यान और सहजता से अधिक सिनेमाई गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का संकल्प, उन्हें एक बेहतरीन कलाकार बनाता है। भारतीय सिनेमा और फैशन के इतिहास में अपरिहार्य व्यक्ति जिनके बिना भारत की सामूहिक सौंदर्य कल्पना अधूरी रहेगी। 91 वर्ष की आयु में मस्तिष्क कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 2020 में उनका निधन हो गया, उन्होंने अपनी पुस्तक - *द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन* में जिसे फैशन और फिल्म के छात्रों के लिए एक बाइबिल माना जाता है और साथ ही अभिलेखीय टुकड़ों और रेखाचित्रों के बड़े संग्रह भी हैं जो पूरे भारत में प्रिंसेप्स द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किए गए थे। मुख्यधारा की जनता द्वारा अपेक्षाकृत कम सराहना किए जाने के बावजूद, बॉलीवुड के स्वर्ण युग और विशिष्ट भारतीय सशक्त नारीत्व की भावना को जीवन में उतारने में उनकी छाप छोटे-छोटे तरीकों से जीवित है और ये प्रेरणाएँ हमारे सांसारिक दैनिक जीवन को थोड़ा और अधिक सुंदर बनाती हैं।

श्रीमती बबिता
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

एकता को गले लगाना : क्रिसमस त्योहार और सामुदायिक संबंध

परिचय: क्रिसमस, अपने धार्मिक महत्व से परे, समुदायों को एकजुट करने में त्योहारों की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा समय है जब आस-पड़ोस जगमगाती रोशनी, उत्सव की सजावट और खुशी की संक्रामक भावना से जीवंत हो उठते हैं। इस लेख में, हम उन तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें क्रिसमस त्यौहार विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सौहार्द को बढ़ावा देने, एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में काम करते हैं।

साझा परंपराएं और रीति-रिवाज: क्रिसमस के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक इससे जुड़ी परंपराओं और रीति-रिवाजों की बहुतायत है। चाहे वह उपहारों का आदान-प्रदान हो, क्रिसमस पेड़ों को सजाना हो, या विशेष दावतों की तैयारी हो, ये अनुष्ठान एक साझा सांस्कृतिक अनुभव बनाते हैं। समुदाय अपनी विविध पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना इन उत्सवों में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं जिससे अपनेपन और साझा पहचान की भावना पैदा होती है।

विविधता का जश्न मनाना: जबकि क्रिसमस की जड़ें ईसाई परंपराओं में हैं, इसका उत्सव धार्मिक सीमाओं से परे है। बहुसांस्कृतिक समाजों में, विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमियों के लोग उत्सव की भावना को अपनाते हैं। क्रिसमस एक समावेशी उत्सव बन जाता है जो समुदायों को उनके बीच मौजूद विविधता की सराहना और सम्मान करने की अनुमति देता है। इसकी सुंदरता विभिन्न संस्कृतियों की सौहार्दपूर्वक सह-अस्तित्व की स्वीकृति और स्वीकार्यता में निहित है।

सामुदायिक कार्यक्रम और सभाएँ: क्रिसमस त्योहारों को सामुदायिक कार्यक्रमों द्वारा चिह्नित किया जाता है जो लोगों को एक साथ लाते हैं। वृक्ष प्रकाश समारोहों से लेकर कैरोल गायन तक, ये सभाएं व्यक्तियों को बातचीत करने और साझा गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। इस तरह के आयोजन सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं, बाधाओं को तोड़ते हैं और कनेक्शन के अवसर पैदा करते हैं जो अन्यथा घटित नहीं होते।

दयालुता और उदारता के कार्य: देने का मौसम क्रिसमस की पहचान है और समुदाय अक्सर दयालुता और उदारता के कार्यों में शामिल होने के लिए एक साथ आते हैं। चाहे वह चैरिटी ड्राइव का आयोजन करना हो, स्थानीय आश्रयों में स्वयंसेवा करना हो या जरूरतमंद लोगों की मदद करना हो, ये सामूहिक प्रयास एक समुदाय के भीतर संबंधों को मजबूत करते हैं। सकारात्मक प्रभाव डालने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्तियों के बीच एकता की भावना को बढ़ाती है।

सजावटी एकता: क्रिसमस के दौरान आस-पड़ोस का दृश्य परिवर्तन अपने आप में एक शानदार दृश्य है। रोशनी से सजी सड़कें, उत्सव की सजावट से सजे घर और शीतकालीन वंडरलैंड में तब्दील सार्वजनिक स्थान सामूहिक सौंदर्य अनुभव में योगदान करते हैं। यह दृश्य एकता न केवल साझा उत्सव की भावना पैदा करती है बल्कि जुड़ाव की भावना को भी बढ़ावा देती है क्योंकि समुदाय के सदस्य उत्सव के माहौल में योगदान करते हैं।

पाक संबंधी संबंध: भोजन में लोगों को एक साथ लाने की अद्वितीय क्षमता होती है और क्रिसमस कोई अपवाद नहीं है। विशेष उत्सव के व्यंजन और पारंपरिक व्यंजन समुदायों के लिए केंद्र बिंदु बन जाते हैं। भोजन साझा करने का कार्य, चाहे पोटलक रात्रिभोज या सामुदायिक दावतों के माध्यम से हो, एकता का प्रतीक बन जाता है। पाक परंपराओं की विविधता सांप्रदायिक अनुभव में समृद्धि जोड़ती है जिससे व्यक्तियों को अपने समुदाय के विभिन्न स्वादों की सराहना करने की अनुमति मिलती है।

अंतर-पीढ़ीगत बंधन: क्रिसमस उम्र की बाधाओं को पार करता है, अंतर-पीढ़ीगत बंधन के अवसर प्रदान करता है। चाहे वह दादा-दादी, पोते-पोतियों को पोषित परंपराएं सौंपना हो या अलग-अलग उम्र के पड़ोसियों का उत्सव की गतिविधियों के लिए एक साथ आना, छुट्टियों का मौसम निरंतरता और साझा विरासत की भावना को बढ़ावा देता है। यह अंतर-पीढ़ीगत आदान-प्रदान समुदाय की एकजुटता में योगदान देता है।

निष्कर्ष: क्रिसमस त्यौहार समुदायों के भीतर एकता के शक्तिशाली एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। साझा परंपराओं, समावेशी समारोहों, सामुदायिक कार्यक्रमों, दयालुता के कार्यों, दृश्य परिवर्तनों, पाक संबंधों और अंतर-पीढ़ीगत संबंधों के माध्यम से, त्योहारी सीजन लोगों को सांस्कृतिक, धार्मिक और जनसांख्यिकीय मतभेदों से परे एक तरह से एक साथ लाता है। जैसे ही हम क्रिसमस के आनंदमय माहौल में डूब जाते हैं, आइए हम उस ताकत को पहचानें और उसका जश्न मनाएं जो हमारे विविध समुदायों के भीतर एकता से आती है।

श्री अविनाश नाथ
लेखापरीक्षक

गणतंत्र दिवस: हमारा गौरव

गणतंत्र दिवस का यह पर्व
जो हमें याद दिलाता है
हमारे देश का गौरवशाली इतिहास
जिसपर हमें गर्व है।

हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी
हमने संविधान को बनाया
हमने अपने अधिकारों को पाया
हमने अपने कर्तव्यों को निभाया

हमारा देश है विश्व का गौरव
हमारा देश है विश्व का आदर्श
हमारा देश है विश्व का उज्ज्वल
हमारा देश है विश्व का अनमोल

आओ हम सब मिलकर मनाएं
गणतंत्र दिवस का यह त्योहार
आओ हम सब मिलकर सम्मान करें
गणतंत्र दिवस का यह उत्सव

एक सफर 'कन्याकुमारी' तक

श्रीमती संध्या एन
लेखापरीक्षक

सबको अपनी ज़िंदगी में हमेशा कोई न कोई सफर करना होता है। आजकल की पीढ़ियों के लिए यह एक शौक भी बन गया है। मैं एक ऐसी इंसान थी जिसे सफर करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्या करुँ ज़िंदगी वो सिखाती है जिसे करने में दिक्कत हो। किंतु मैं एक ऐसे सफर के बारे में बताना चाहती हूँ जो बेहद ही खूबसुरत है।

पिछले वर्ष की छुट्टियों में मैं अपने परिवार वालों के साथ कन्याकुमारी देवी की दर्शन करने गई थी। दक्षिण में तमिलनाडु राज्य का आखिरी छोर कन्याकुमारी उस दिन हमारी आंखों के सामने था। तीन तरफ समुद्र की खूबसूरत आभा से घिरा कन्याकुमारी एक ऐसा सुंदर और आकर्षक पर्यटन स्थल है जहां देश और विदेश के सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। कोई गली-मोहल्ला ऐसा न था जो खूबसूरत न हों। देखकर लगा हम भारत की नहीं वरन किसी और देश की धरती पर हैं। हिंदू धर्म की विभिन्न परंपराओं में कन्याकुमारी देवी को पार्वती या तो लक्ष्मी का रूप बताया गया है। उन्हें शाक्तों द्वारा देवी भद्रकाली के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें श्री बाला भद्र, श्री बाला, कन्या देवी और देवी कुमारी जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने वाणासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। बाणासुर का वध कुमारी के हाथों हुआ। इसके बाद से ही कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाने लगा और बाणासुर के वध के बाद कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को 'कन्याकुमारी' कहा जाने लगा।

उस समय वहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना था और दूर फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच यहां का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद आकर्षक लग रहा था। समुद्र तट पर रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। उसके बाद बारी आई- समुद्र और नदी सैर करने की। मुझे बहुत डर लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने यह कर लिया। सुमद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे को देख पाना

संभव नहीं था । पता नहीं क्यों, उसे देखना और खासकर उसके पार क्या है-इसे देखना और यह सोचना कि हमारी ज़िंदगी में भी कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिसके भविष्य को देख पाना संभव नहीं होता, खैर समुद्र की आती-जाती लहरें पता नहीं क्यों बेहद ही खूबसुरत लग रही थी । ये लहरें बिल्कुल हमारी यादों की तरह आती है जो हमें कभी खुश तो कभी उदास कर जाती है । सब मिलाकर मुझे ये सारे नजारें बेहद ही प्यारे लग रहे थे ।

उसके बाद हम विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने गए । बताया जाता है कि पवित्र स्थान विवेकानंद स्मारक को 1972 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बनवाया था । इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने गहन ध्यान लगाया था। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहां कुमारी देवी के पैरों के निशान भी हैं। इस स्मारक के विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम नामक दो प्रमुख हिस्से हैं । जाने से पहले मन में आशंका थी कि वहाँ कहीं ज्यादा गर्मी न हो लेकिन भगवान की कृपा से उतनी गर्मी नहीं थी क्योंकि समुद्र से घिरा होने के कारण वहाँ हल्की हवा बह रही थी जिससे गर्मी का एहसास नहीं हो पा रहा था ।

वापस आते समय हम कई मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए थे । कन्याकुमारी देवी और सीता माता के चरणों का दर्शन मुझे सबसे अच्छा लगा था ।

उस सफर के बाद मुझे सफर करना अच्छा लगने लगा । सभी को मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि जब आपके ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो तो आप बिना किसी की परवाह किए, सफर पर निकल जाएँ। ये ज़िंदगी जो आपको बहुत ही मुश्किल लग रही थी, यकीन मानिए वही आपको बेहद ही आसान लगने लगेगी और साथ ही साथ बेहद खूबसुरत भी । आप ज़िंदगी को एक नये नज़रिए से देखना शुरु कर देंगे । इसलिए आपको जब कुछ समझ ना आए तो अपना जरूरी सामान लें और अपने प्यार करने वालों के साथ एक हसीन सफर पर इस गाने को गुनगुनाते हुए निकल जाएँ-

"जिंदगी का सफर है सुहाना
यहाँ कल क्या हो किसने जाना" ।

सुश्री निहिता साई कुमार
सुपुत्रीः श्री जे ए साई कुमार
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

अपनी-अपनी सीमा

विक्टर घर से बाहर निकला तो थोड़ी ही दूर जाते ही उनकी गाड़ी- दोपहिया मोटरसाइकिल अचानक रास्ते में चलते-चलते रुक गई । विक्टर को कुछ समझ में नहीं आया । गाड़ी सुरक्षित साइड पर किया। तीन -चार बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की, मगर विफल था। बाद में पता चला कि पेट्रोल न होने के कारण गाड़ी रुक गई है। आसपास पेट्रोल पंप को ढूंढने से पहले सामने ही पेट्रोल पंप नज़र आया। ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी वहाँ तक गाड़ी धकेलकर ले जाना मुश्किल था। पसीना पोछते-पोछते पेट्रोल पंप तक पहुँच गया। पहुँचते ही एक लड़के ने कहा कि इधर नहीं उधर जाओ। पेट्रोल डाला और निकल पड़ा।

पीटर्सन के अपार्टमेंट पहुँच गया। फाठक के अंदर जाते ही वहाँ का चौकीदार सीटी बजा कर गाड़ी हटाने के लिए कहा और दूसरी ज गह दिखाई।

ये सब होने के बाद विक्टर और पीटर्सन दोनों मिलकर खाना खाने के लिए होटल चले गए। होटल के कमरे के अंदर गए । सारा होटल वातानुकूलित था । थोड़ी-सी राहत मिली। बैठने के लिए हम दोनों जगह ढूँढ रहे थे। तभी एक जगह दिखाई दी और जैसे ही वहाँ बैठने गए वहाँ का परिचालक ने कहा कि ये जगह आरक्षित है । बाद में दूसरी जगह दिखाया । दोपहर के तीन बजने वाले थे । खाने की मैनु को देखा। परिचालक को खाना ऑर्डर कर दिया। परिचालक ने कहा दोपहर के तीन बजे है और ऑर्डर किए गए व्यंजन नहीं मिलेगा । परिचालक ने बाद में अपने पसंद का व्यंजन लाया।

अगले दिन विक्टर अपने सरकारी दफ़्तर पहुँचा । कुछ ज्यादा ही जल्दी में था । शौचालय की ओर कदम बढ़ाया। दरवाज़े के पास कोई खड़ा था। बड़ा साहब अंदर रहने के कारण चतुर्थेणी कर्मचारी ने विक्टर को अंदर आने नहीं दिया। एक उच्च अधिकारी के लिए कुल बीस शौचालय कर्मचारी थे।

अब तक आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा । हर कर्मचारी अपनी-अपनी जगह अकड़ दिखाता है । वो उसकी सीमा है । पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने दूसरी जगह पेट्रोल भराने को बोला । अपार्टमेंट में चौकीदार गाड़ी हटाने के लिए कहा । होटल में गार्ड ने अपना अधिकार दिखाया । अंत में सरकारी कार्यालय में चतुर्थेणी के कर्मचारी ने भी अपना अधिकार दिखाया ।

शायद कुछ मामलों में लोगों को अपनी-अपनी हदें दिखाना कहीं हद तक सही होगा । लेकिन कुछ मामलों में चंद अधिकारी का तो अपना आधिपत्यपूर्ण अकड़ कुछ ज्यादा ही होता है । लेकिन उन्हें ये कभी नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी अकड़, नायकत्व, अधिपति का शासन बस उनके कमरे या अनुभाग या विभाग तक ही सीमित रहती है, इसके बाहर भी दुनिया है, जहाँ कोई किसी का नहीं है । कार्यालय के फाटक या सीमा के बाहर कोई किसी का नहीं है ।

पेट्रोल पंप के बाहर कोई सीमा नहीं, अपार्टमेंट के बाहर कोई हद नहीं, होटल के बाहर किसी का रुबाब नहीं । कोई रुबाब या नायकत्व या अधिपति या शासन मर्यादा नहीं । कुछ राजनीतिक मंत्री आम जनता के बीच अपना वाहन इतना तेज़ चलाकर जाते हैं कि किसी की भी परवाह नहीं करते । बस उनका अपना अधिकार चल रहा है और चलेगा । वही गाड़ी हवाई अड्डा पहुँच गया हो, अपनी सफर के लिए एक नहीं, दो नहीं चार-चार घंटे इंतज़ार करने के लिए स्वीकार है । बाद में वही आम जनता का खाना खाएंगे और आम जनता का शौचालय इस्तेमाल करेंगे । क्योंकि हर जगह उनका शान से भरी, रुबाब से भरी मेहमान नवाज़ी नहीं मिलेगा ।

इन जैसे विकृत लोगों को एक बात समझना चाहिए कि मरने के बाद सबको वही तीन गज़ ज़मीन ही नसीब होगी, उससे ज्यादा नहीं । उस तीन गज़ ज़मीन के दो गज़ भीतर सब होंगे, किसी में कोई अंतर नही होता है ।

पल्लिच्चल का कुंआ

श्रीमती सुजाता साई कुमार
पत्नी: श्री जे ए साई कुमार
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

शाम हो रही थी । सूर्यास्त के बाद ज्यादा देर भी नहीं हुआ था। अंधेरा होने ही वाला था। सुनील हमेशा की तरह घर के सामने स्थित खुली और ऊँचाई पर बनी तट पर बैठकर पढ़ रहा था, वही पुरानी लालटेन की रौशनी से। उस साल उसका मासिक परीक्षा थी। ज्यादा दिन नहीं था। दो या तीन दिन रह गए थे। मौसम के कारण थोड़ी गर्मी भी थी। इतनी गर्मी होने के कारण सुनील ने अपनी कमीज़ उतार दी और पतलून पहना लिया। पतलून की बटन टूट हुई थी और वह उसी हाल में घूम रहा था। दिये में रौशनी न ज्यादा थी न कम।

उसके घर के आँगन में एक कुआँ था। मगर कुंआ का कोई तट नहीं था। वह बहुत पुराना कुंआ था। गांव वालों का कहना था कि कुंआ शुभ नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि कुंआ का दिशा सही नहीं है। कुएँ से सटकर एक नारियल का पेड़ था। देखने में बहुत सुंदर। कुंआ और साथ में नारियल का पेड़-जैसे मानो कि किसी चित्रकार ने बनाया हो। लेकिन नारियल का पेड़ सीधा नहीं था। दूसरी तरफ झुका हुआ था और झुककर जैसे हल्का सा मुड़ा हुआ था। वृक्ष का अंतिम छोर या हिस्सा भी मुड़ा हुआ था। जैसे मानो, नाग-नागिन का फन हो। नारियल के पेड़ का एक तरफ झुकना और उसी पेड़ के अंतिम छोर या हिस्से पर नाग-नागिन का फन जैसा होना, गांव के आसपास के लोगों को शुभ नहीं लगता था और कुछ लोगों का कहना था कि उस इलाके में साँपों का आना-जाना अधिक होता है और तो और कुछ लोग शिकार भी हो गए थे। अनगिनत लोगों को साँपो ने डस भी लिया था। लेकिन कोई नहीं जानते थे कि कितने लोगों की मृत्य हुई थी। साँप के डसने के बाद जो ज़िंदा है, उनका हिसाब भी किसी के पास नहीं है। ज्यादा दिन नहीं हुए, बस आठ-दस दिन पहले की बात है। सुनील को साँप का उतरा हुआ खाल मिला था। अंदाज़ा लगाने पर ये मालूम हुआ कि वह शेषनाग का खाल था। काफी बड़ा था। इतना बड़ा कि एक मनुष्य आसानी से अंदर जा सकता है। उसका फन दोनों हथलियों के बराबर था। सुनील के पिताजी, जोसफ जॉर्ज का कहना था कि इसी इलाके के एक वयोवृद्ध नारी, ओमनाम्मा के बातों से ये मालूम हुआ था जिसे सांप ने ही डसा था, वो मरी नहीं। जो भी मरा है वो अच्छे स्वभाव के नहीं थे। निकम्मे थे। तंकच्चन के नाम के एक ज़मींदार ने कुछ लोगों को बेरहमी से मारकर कुएँ में फेंक दिया था। उस वक्त कुआँ बहुत गहरा हुआ करता था

। जो भी मरे और जिसे भी वो मारा सारे उनके पास काम करने वाले थे या उनसे ज़मीन गिरवी रखकर उधार लेने वाले थे। कभी-कभी उन मरे हुए लोगों की चीखें आर्तनाद के रूप में सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय एक बड़े घर की बेटी को एक घरेलू दासी के पुत्र से प्रेम हो गया था। दोनों ने प्रेम-विवाह भी कर लिया था। बाद में उस लड़की को मार डाला और उसके मृत शरीर को एक सफ़ेद कपड़ें में लपेटकर रस्सी से बांधकर कुएँ में फेंक दिया गया था। उस ज़माने के लोगों का कहना था कि लड़की कई दिनों तक ज़िंदा थी। कुछ का कहना था कि बाद में उसे जंगली लोमड़ियों ने नोच खाया और कुछ लोगों का कहना यह कि लड़की को उसके खानदान के एक वृद्ध ने उसी हालात में जला दिया था। बाद में कुछ महीनों के बाद लोगों का कहना है कि तंकच्चन का पैर पिसला और वह कुएँ में गिर पड़ा। गिरने से उसका सिर सीधे पत्थर से टकराया और सिर के दो टुकड़े हो गए और कुछ क्षण बाद थांगचान मर गया। इसी तरह उस कुएँ के बारे में अनगिनत कहानियाँ हैं।

जोसफ जॉर्ज इस ज़मीन को सालों पहले कौड़ी के दाम में खरीदा था। उस वक़्त उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये ज़मीन इतनी सस्ती मिल रही है।

सुनील की पढ़ाई जारी थी। थकान से कभी-कभी पलक झपकना, फिर उठना और मटके से पानी लेकर चेहरा धोना, यही सब चल रहा था। लालटेन की रौशनी उतनी ज्यादा भी नहीं थी। लेकिन कम थी। इस कम रौशनी की मानो आदत-सी हो गई थी। पढ़ाई में लीन सुनील को महसूस नहीं हुआ, मगर थोड़ा-थोड़ा लगने लगा कि कुआँ के पास कोई है। आसपास कोई रौशनी नहीं थी। बीच-बीच में मच्छरों के कारण दाहिने तरफ मुड़कर मच्छरों को भगा रहा था। फिर वापस अपनी नज़र किताब की ओर ले गया तो उसके पास में कोई काला धोती पहने खड़ा प्रतीत हुआ। बस इतना आभास हुआ था कि कोई खड़ा है। सुनील के तो होश ही उड़ गए। क्या चीज़ है, क्या करना चाहिए, कौन है, क्यों है, ये सारे सवाल एक साथ दिमाग में आने लगे। कुछ क्षण के बाद वह धुँधली-सी आकृति घर के अंदर चला गया। सुबह होते ही सुनील की माँ बीमार पड़ गई। सुनील के पिताजी ने बीमार पत्नी को अस्पताल ले गये। सुनील की माँ की हालत दस दिनों तक गंभीर रही। कुछ दिनों के बाद जब वे थोड़ी स्वस्थ हुई तो उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

जॉर्ज की पत्नी उस रात से पहले बिल्कुल स्वस्थ व तंदुरुस्त थी। लेकिन अचानक उस हादसे के बाद तुरंत बीमार पड़ गई। ज़िन्दगी में कुछ हादसे और घटनाए ऐसे भी होते हैं जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता। इनके कोई वास्तविक कारण भी नहीं होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर हादसा का हल हो। जी हां ये एक वास्तविक घटना है और ये वारदात का प्रत्यक्ष साक्षी अभी पल्लिच्चल गांव में है। अमावस्या की रात हो या ना हो, आज भी उस कुंआ के पास मरे हुए लोगों का आर्तनाद कभी-कभी सुनाई देता है। जी हां बहरों को भी सुनाई देता है।

ज्ञान का गर्व

श्री अविनाश नाथ
लेखापरीक्षक

एक बार एक आदमी था जिसका नाम था तेनाली । वह एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी था जो हर सवाल का जवाब जानता था । वह लोगों की मदद करने के लिए अपना ज्ञान का इस्तेमाल करता था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे ।

एक दिन, तेनाली को एक चुनौती मिली । एक और आदमी था जिसका नाम था गूगल । वह भी एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी था जो हर सवाल का जवाब जानता था । वह भी लोगों की मदद करने के लिए अपना ज्ञान इस्तेमाल करता था और लोग उसे भी बहुत पसंद करते थे।

गूगल ने तेनाली को एक मुकाबला करने का आमंत्रण दिया । उसने कहा, "तेनाली, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, लेकिन मुझसे तुम नहीं जीत सकते । मैं तुमसे बेहतर हूँ और मैं तुम्हें यह साबित भी कर सकता हूँ । तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है, वह सब मुझे पहले से ही पता है और मुझे और भी बहुत कुछ पता है । तुम मुझसे कुछ भी पूछो, मैं तुम्हें तुरंत जवाब दे दूँगा और तुम मुझे कुछ भी बनाने को कहो, मैं तुम्हें तुरंत बनाकर दे दूँगा । तुम मुझसे इस मुकाबले में हार जाओगे और फिर तुम्हें मानना होगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ।"

तेनाली ने गूगल की बात सुनी और उसने सोचा, "गूगल तो बहुत ही अहंकारी और घमंडी है । वह मुझे अपने से कम समझता है और मुझे चुनौती दे रहा है । लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ । मुझे भी अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करना आता है और मैं उसे उसकी औकात दिखा सकता हूँ । मैं उसके साथ इस मुकाबले में भाग लूँगा और उसे हराकर दिखाऊँगा ।"

इस प्रकार, तेनाली ने गूगल की चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों ने एक दूसरे से मुकाबला शुरू कर दिया ।

गूगल ने पहला सवाल पूछा, "तेनाली, तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन-सा है?"

तेनाली ने तुरंत जवाब दिया, "गूगल, यह तो बहुत ही आसान सवाल है । दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत **"माउंट एवरेस्ट"** है जो नेपाल और चीन के बीच में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है **8,848** मीटर ।"

गूगल ने कहा, "तेनाली, तुमने सही जवाब दिया है, लेकिन यह तो मुझे भी पता था । तुमने मुझे कुछ नया बताया ही नहीं । अब तुम मुझसे एक सवाल पूछो।"

तेनाली ने सोचा, "गूगल तो बहुत ही अकड़ रहा है। वह मुझे आसान सवाल पूछ रहा है और फिर खुद को बहुत ही बुद्धिमान समझ रहा है। लेकिन मैं उसे एक ऐसा सवाल पूछूँगा जिसका जवाब उसे नहीं पता होगा।"

तेनाली ने गूगल से पूछा, "गूगल, तुम्हें पता है कि भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन-सा है?"

गूगल ने घमंड से कहा, "तेनाली, यह तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण सवाल है। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल तो "क्रिकेट" है जिसे लगभग "1.3 अरब" लोग देखते और खेलते हैं। भारत की क्रिकेट टीम तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित टीम है जिसने दो विश्व कप जीते हैं।"

तेनाली ने हंसते हुए कहा, "गूगल, तुमने गलत जवाब दिया है। भारत का सबसे लोकप्रिय खेल तो "चेस" है जिसे लगभग "1.5 अरब" लोग देखते और खेलते हैं। भारत का चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद तो पांच बार विश्व चैंपियन बन चुका है और उसे चेस का बादशाह कहा जाता है।"

गूगल ने हैरानी से कहा, "तेनाली, तुमने यह कहाँ से सुना? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि भारत में चेस इतना प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है?"

तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, "गूगल, तुम्हें तो सबूत की जरूरत ही नहीं है। तुम तो हर चीज को खुद ही जानते हो और हर चीज को खुद ही सही मानते हो। तुम तो अपने आप को तेनाली से बेहतर समझते हो और मुझे चुनौती देते हो। लेकिन तुमने अभी देखा कि तुम मुझसे गलती कर बैठे। तुमने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब तुम्हें नहीं पता था और मैंने तुम्हें एक ऐसा जवाब दिया जिसे तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम तो बस अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कहोगे।"

गूगल ने गुस्से से कहा, "तेनाली, तुम तो बहुत ही चालाक और धोखेबाज हो। तुमने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब तुम्हें भी नहीं पता था। तुमने तो बस अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह दिया। तुम तो बस मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो।"

तेनाली ने हँसते हुए कहा, "गूगल, तुम तो बहुत ही नासमझ और अक्लमंद हो। तुमने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब तुम्हें पता था, लेकिन वह सही नहीं था और मैंने तुम्हें एक ऐसा जवाब दिया जिसे तुम मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन वह सही है। तुम तो बस अपने आप को गलत साबित कर रहे हो।"

इस प्रकार, दोनों ने एक-दूसरे से बहस करते हुए अपना समय बर्बाद कर दिया। उन्हें लगा कि वे एक-दूसरे को हरा सकते हैं, लेकिन वे दोनों ही हार गए। उन्हें यह समझना चाहिए था कि ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए और ज्ञान को बांटना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए था कि तेनाली और गूगल दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे से सीखना चाहिए।

अंत में, गूगल को यह समझ आया कि यह तेनाली की चाल थी और वह समझ गया कि किसी को भी अपने ज्ञान पर बहुत अधिक गर्व नहीं करना चाहिए।

लालबहादुर शास्त्री की जीवनी

श्री शशिकुमार
लेखापरीक्षक

लालबहादुर शास्त्री का जन्म सन् 1904 में मुगलसराय (उत्तर प्रदेश) में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। अतः सब उन्हें मुंशीजी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक (क्लर्क) की नौकरी कर ली थी। लालबहादुर शास्त्रीजी की माता का नाम रामदुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लालबहादुर को परिवार में नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हा अठारह महीने का हुआ, तभी दुर्भाग्यवश पिता का देहांत हो गया। उनकी माँ रामदुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हें की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का बहुत सहायता किया। ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जातिसूचक शब्द 'श्रीवास्तव' हमेशा-हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे 'शास्त्री' लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लालबहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया।

उनका विवाह 1928 में मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता और शास्त्री की छः संतानें हुईं। दो पुत्रियाँ-कुसुम व सुमन और चार पुत्र-हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक।

लालबहादुर शास्त्रीजी संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्रीजी सच्चे गाँधीवादी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। उसके परिणामस्वरूप उन्हें कई बार जेल में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें 1921 का 'असहयोग आंदोलन', 1930 का 'दांडी मार्च' तथा 1942 का 'भारत छोड़ो आंदोलन' उल्लेखनीय हैं।

दूसरे विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज को 'दिल्ली चलो' का नारा दिया, गाँधीजी ने मौके की नजाकत देखते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेजों को 'भारत छोड़ो' व भारतीयों को 'करो या मरो' का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गये। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्रीजी ने इलाहाबाद पहुँचकर इस आंदोलन के गाँधीवादी नारे को चतुराईपूर्वक 'मरो नहीं, मारो' में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे ग्यारह दिन भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्रीजी गिरफ़्तार हो गए।

शास्त्रीजी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरूषोत्तमदास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडनजी के साथ भारत-सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरूजी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद तो शास्त्रीजी का कद निरंतर बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वे नेहरूजी के मंत्रिमंडल में गृहमंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुँचे और जब नेहरू जी का निधन हुआ तो उनकी साफ-सुथरी छवि के कारण उन्हें 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाये गये। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिक खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे थे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यावहारिक और जनता के आवश्यकताओं के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्रीजी की शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूँजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर सायं 7.30 बजे हवाई हमला कर दिया। परम्परानुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुँचे। उनके आते ही विचार-विमर्श प्रारंभ हुआ। तीनों प्रमुखों ने उन्हें सारी वस्तु-स्थिति समझाते हुए पूछा "सर ! क्या हुक्म है ?"

शास्त्रीजी ने एक वाक्य में तुरंत उत्तर दिया, "आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है?" शास्त्रीजी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और 'जय जवान-जय किसान' का नारा बुलंद किया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गये। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी।

भारत-पाक युद्ध के दौरान 6 सितम्बर को भारत 17वीं पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्वयुद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया। इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्विक सीमा थी। जब भारतीय सेना ने लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए सीमा के भीतर पहुँच गई। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्धविराम की अपील की।

आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्रीजी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची-समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमेशा उनके साथ जाने वाली उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को बहला-फुसलाकर इस बात के लिए मनाया गया कि वे शास्त्रीजी के साथ रूस की राजधानी ताशकंद न जाए और वह भी मान गई। अपनी इस भूल का श्रीमती ललिता शास्त्री को मृत्युपर्यंत पछतावा रहा। जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्रीजी की एक ही ज़िद्द थी कि उन्हें शर्तें मंजूर हैं, परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं। काफी जद्दोजहेद के बाद शास्त्रीजी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिये गये। उन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किये थे कि वे हस्ताक्षर ज़रूर कर रहे पर यह जमीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा, वे नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्धविराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यू हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्रीजी की मौत हृदयाघात (हार्ट अटैक) के कारण हुई थी। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते हैं।

शास्त्रीजी को उनकी "सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी" की वजह से ही आज पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में **भारत रत्न** से सम्मानित किया गया।

समतल

श्री अंकित सिंह
लेखापरीक्षक

समुद्र के पानी में आया नमक,
रात की बही हुई उदासी है।
नदियँ मीठी इसलिए है,
क्योंकि उन्हें तटों के कंधों का सहारा है।

सुख का गंतव्य दुख में विलय है
जैसे नदियाँ अपनी मिठास
समुद्र के खारेपन में मिलने से नहीं बचा सकती
समुद्र कहीं किसी कोने में जाकर नहीं गिरता
पृथ्वी का कोई हिस्सा
ना ऊपर है ना नीचे
समतल एक भ्रम है
जीवन समतल की तरह भले दिखता हो
लेकिन होता नहीं है

हम अपना पूरा जीवन
एक वक्र रेखा को सरल कहकर और
एक वृत्त को बिंदु मानकर गुज़ार देते हैं
समय कभी भी सरल रेखा पर नहीं चलता

भूख की रात सबसे लम्बी होती है और
ग्लानि का दिन सबसे गर्म
विद्रोह की शाम सबसे ज्यादा कोंचती है और
बेगारी की सुबह सबसे ज्यादा चुभती है

समय अपना धर्म कभी नहीं भूलता
ईश्वर और धर्म दो अलग रास्ते हैं
धर्म का ज्ञान ईश्वरीय नहीं और
ईश्वर धार्मिक कभी नहीं हो सकता।

शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। तेजी से हो रहे शहरीकरण ने स्थिति की जटिलताओं को बढ़ा दिया है। अपशिष्ट के अपर्याप्त प्रबंधन से सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणामों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2016-2021 की अवधि को शामिल करते हुए इस निष्पादन लेखापरीक्षा को लिया इसका उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति और योजना मौजूदा प्रावधानों के अनुसार और पर्याप्त संस्थागत तंत्र क्रियाविधि द्वारा समर्थित थी। लेखापरीक्षा ने यह विश्लेषण करने का भी प्रस्ताव दिया कि क्या शहरी स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के प्रबंधन (पृथक्करण, संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के सभी चरणों के माध्यम से) से जुड़े कार्यों और परियोजनाओं की योजना बनाकर कार्यान्वित की गई और प्रभावी तरीके से इसे बनाए रखा गया। इस बात की जांच करने का भी ध्यान रखा गया कि अपशिष्ट से पर्यावरण को होने वाले खतरों की किस हद तक पहचान की गई और उन्हें कम किया गया।

लेखापरीक्षा अवधि 2016-2021 के दौरान, नमूना जांच किए गए 22 शहरी स्थानीय निकायों ने बिना कोई सर्वेक्षण किए अपशिष्ट उत्पादन के प्रति व्यक्ति अनुमान को अपनाया। हमने देखा कि इस पद्धति में विश्वसनीयता का स्तर निम्न था। राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा, संरचना एवं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का आकलन करने के लिए अब तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।

अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति तैयार करने में दो वर्ष से अधिक तथा राज्य की रणनीति के नियमन में चार वर्ष से अधिक का विलंब हुआ। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने अल्पकालिक या दीर्घकालिक योजनाएं तैयार नहीं कीं। उपनियम या तो तैयार नहीं थे या सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं थे।

संस्थागत क्षमता के उचित अंतराल विश्लेषण के बिना बहुत कम अवधि में कई विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के परिणामस्वरूप मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के संबंध में व्यापक डेटा शामिल नहीं किया गया। राज्य में ग्यारह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार न करने / तैयारी में देरी के कारण, शहरी स्थानीय निकायों को □ 45.82 करोड़ की केंद्रीय सहायता की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में सभी नमूना-जाँचित शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिबंधित प्लास्टिक के कैरी बैग का बड़े पैमाने पर उपयोग और सड़क निर्माण कार्यों में छोटे-छोटे टुकड़े किए हुए प्लास्टिक का कम उपयोग देखा गया। शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री संग्रह सुविधाएं और संसाधन पुनर्प्राप्ति सुविधाएं या तो स्थापित नहीं थीं या गैर-कार्यात्मक थीं। अनौपचारिक कूड़ा बीनने वालों / कचरा बीनने वालों को औपचारिक कूड़ा प्रबंधन प्रणाली में एकीकृत नहीं पाया गया।

शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्र / राज्य सरकारों के साथ-साथ स्वनिधि से प्राप्त धन का उपयोग करके किया गया था। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विकास निधि का केवल 0.48 से 1.66 प्रतिशत का उपयोग किया, जो निर्धारित 10-15 प्रतिशत से बहुत कम था। जबकि 14 शहरी स्थानीय निकायों ने पाँच साल की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी एसडब्ल्यूएम परियोजना को लागू करने के लिए अपने फंड का उपयोग नहीं किया, शेष आठ द्वारा उपयोग का प्रतिशत केवल 5.34 प्रतिशत तक था।

सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को कम प्राथमिकता दी गई, जैसा कि राज्य / जिला / शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर रणनीति / योजना/लक्ष्यों की अनुपस्थिति के अलावा, धन के खराब उपयोग से परिलक्षित होता है।

स्रोत और द्वितीय स्तर पर अपशिष्ट के अपूर्ण पृथक्करण के परिणामस्वरूप प्रसंस्करण स्थलों पर मिश्रित अपशिष्ठ का प्रवाह हुआ। सभी नमूना-जांचित शहरी स्थानीय निकायों में घरों को रंग कोडित अपशिष्ट के डिब्बे उपलब्ध नहीं कराए गए थे। स्रोत स्तर और माध्यमिक स्तर पर अनुचित पृथक्करण के कारण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भारी मात्रा में अस्वीकृत का निपटान देखा गया। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में बहुत कम रेस्तरां/कम्यूनिटी हॉल में स्रोत स्तर की निपटान सुविधाएं थीं। यद्यपि अपार्टमेंट में स्रोत स्तर निपटान सुविधा स्थापित करना अनिवार्य था, केवल 52 प्रतिशत (548 में से 286) अपार्टमेंट में यह सुविधा थी। केवल तीन नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में पोल्ट्री अपशिष्ट के संग्रह की व्यवस्था थी और भोजन अपशिष्ट को रेस्तरां द्वारा सुअर फार्मों में निपटान करते देखा गया था। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और बागवानी अपशिष्ट के संग्रह के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट के 100 प्रतिशत घर-घर संग्रह के लक्ष्य से कोसों दूर थे। इसके अलावा, राज्य में अपशिष्ट के निपटान के लिए कोई लैंडफिल सुविधा नहीं है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए राज्य में एकमात्र लैंडफिल साइट अंबलमेडु का उपयोग मिश्रित/गैर-खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए किया जा रहा है।

शहरी स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट परिवहन के लिए खुले वाहनों या बिना विभाजन वाले वाहनों का उपयोग किया, जो नियमों के विरुद्ध था। कोच्चि और तिरुवनंतपुरम निगमों में, स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाले वाहन समय पर मरम्मत और फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण

सड़कों से नदारद थे, जबकि अपशिष्ट परिवहन के लिए निजी वाहनों को किराए पर लिया जाना जारी रहा।

लेखापरीक्षा में कोच्चि निगम के केंद्रीकृत प्रसंस्करण संयंत्र ब्रह्मपुरम में अपशिष्ट का भारी संचय देखा गया, जो कई वर्षों से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकरण के बिना काम कर रहा है। ब्रह्मपुरम और त्रेलियनपरम्ब में प्रसंस्करण सुविधाओं में लीचेट निपटान संयंत्र कार्य नहीं कर रहा था। नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के 14 डंपसाइटों में से, किसी भी नगर पालिका में सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ था।

अपशिष्ट के उचित पृथक्करण के अभाव के कारण ठोस अपशिष्ट को प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और ई- अपशिष्ट के साथ मिश्रित किया गया। कई स्वास्थ्य सेवा संस्थान बिना प्राधिकरण के काम कर रहे थे और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के लिए अनधिकृत तरीकों का सहारा ले रहे थे, जिससे पर्यावरण को खतरा हो रहा था। हालाँकि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार और निपटान 48 घंटों के भीतर किया जाना है, लेकिन अपर्याप्त निपटान क्षमता के कारण पालक्काड़ में आईएमएजीई (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोज़ एको-फ्रेंडली-IMAGE) सुविधा में भारी बैकलॉग था। दूसरी ओर, केईआईएल (केरला एनवायरों – इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड -KEIL) सुविधा में प्रति दिन 16 टन निपटान की क्षमता होने के बावजूद, केवल 6.2 टन ही निपटान किया गया।

नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने ई-अपशिष्ट को एकत्र नहीं किया या अधिकृत डिस्मेंटल/रिसाइक्ल करने वालों को नहीं भेजा और ई-अपशिष्ट नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया गया। नमूना-जांच किए गए किसी भी शहरी स्थानीय निकायों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लेखांकन, संग्रहण और निपटान के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

अनुशंसाएँ

I. योजना और वित्तीय प्रबंधन

• सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी श्रेणियों के अपशिष्ट के पर्याप्त उपचार और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा और संरचना का वैज्ञानिक आकलन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपलब्ध अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा का आकलन करने के लिए, सिस्टम के माध्यम से आने वाले अपशिष्ट को विभिन्न मौसमों में कई स्थानों पर मात्राबद्ध करने की आवश्यकता होती है, ताकि नवीन और कुशल उपचार प्रौद्योगिकियों की पहचान और योजना बनाई जा सके।

(अनुसंशा 1)

• सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार करें और अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपनियमों को मंजूरी दें। तैयार की गई अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं अनौपचारिक अपशिष्ट बीनने वालों को अपशिष्ट प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में एकीकृत करने का भी प्रावधान कर सकती हैं।

(अनुसंशा 2)

• सरकार को उपलब्ध धन के प्रभावी उपयोग के लिए वार्षिक योजनाएं और लक्ष्य बनाकर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान को निरंतर बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को अपने जनसंपर्क विंग और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आईईसी अभियान चलाना चाहिए, ताकि अपशिष्ट उत्पादकों के बीच अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, जहां तक संभव हो अपशिष्ट का पुन: उपयोग करने, अपशिष्ट को अलग करने का अभ्यास करने और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने से रोकने की आवश्यकता पर सार्वजनिक जागरूकता पैदा की जा सके।

(अनुसंशा 3)

• सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवंटित केंद्रीय/राज्य निधि और अपने राजस्व के उपयोग की सीमा को बढ़ाएं। वे सेवा उपकर और उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह को बढ़ाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करें, ताकि अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर व्यय में योगदान दिया जा सके।

(अनुसंशा 4)

• सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थानों द्वारा विशेष रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर किए जाने वाले व्यय का एक अनिवार्य न्यूनतम प्रतिशत तय करने पर विचार किया जाए।

(अनुसंशा 5)

II अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन

• सरकार यह सुनिश्चित करें कि शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न स्तरों पर अपशिष्ट को अलग करने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाएं। स्रोत / घरेलू, केंद्रीकृत छंटाई सुविधा और अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और स्वच्छता अपशिष्ट का घर-घर संग्रह करना और अपशिष्ट के प्रभावी पृथक्करण और संग्रह को सक्षम करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलग-अलग रंग कोडित डिब्बे प्रदान करना।

(अनुसंशा 6)

• सरकार / शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट के परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों का यथार्थवादी मूल्यांकन किया जाए। वाहनों के रखरखाव/मरम्मत कार्यों को निष्पादित करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है ताकि लंबे समय तक अपने वाहनों को सड़क से दूर रखने के साथ-साथ वाहनों को किराये पर लेने पर रोक लगाई जा सके।

(अनुसंशा 7)

III अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निपटान

• सरकार / शहरी स्थानीय निकाय द्वारा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्रोत स्तर की निपटान सुविधाओं को लागू करने और प्रदान की गई सुविधाओं के प्रभावी उपयोग के लिए घरों / संस्थानों को पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किए जाए। सरकार सभी स्रोतों से फैले अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त संख्या में सामुदायिक स्तर की सुविधाएं भी स्थापित करे।

(अनुसंशा 8)

• सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पन्न मिश्रित कचरा स्रोत बिंदुओं पर ही अलग हो जाए और अकेले बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट ब्रह्मपुरम और त्रेलियनपरम्ब में केंद्रीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों तक पहुंच जाए। सरकार को निगमों से उत्पन्न लीचेट के उपचार के लिए लीचेट उपचार संयंत्र स्थापित करने का भी आग्रह करना चाहिए, जिससे आस-पास के जल निकायों और कृषि भूमि के प्रदूषण को रोका जा सके।

(अनुसंशा 9)

IV प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन

• सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का निर्देश देना चाहिए जिसके द्वारा उत्पादक, आयातक और उत्पादों के ब्रांड मालिक प्लास्टिक अपशिष्ट और ई- अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के तहत अपने दायित्व को पूरा करें।

(अनुसंशा 10)

- उत्पन्न अपशिष्ट में कमी, पुन: उपयोग और रीसाइकल करने (3आर रणनीति) की संभावना को अधिकतम करने की दृष्टि से, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी स्थानीय निकाय एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करें, प्लास्टिक कैरी बैग के विकल्प को बढ़ावा दें, सड़कों पर रीसाइकल नहीं करने योग्य कटे हुए प्लास्टिक का उपयोग करें, अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करना आदि।

(अनुसंशा 11)

- सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्लास्टिक अपशिष्ट के रीसाइकल करने योग्य हिस्से के उचित पृथक्करण की सुविधा के लिए शहरी स्थानीय निकाय सभी वार्डों में सामग्री संग्रह सुविधाएं (एमसीएफ) स्थापित करें।

(अनुसंशा 12)

- सरकार को नियमों में निर्दिष्ट समय सीमा और दूरी के भीतर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (एचसीएफ) उचित प्राधिकरण के साथ काम कर रही हैं और इन एचसीएफ में उत्पन्न ठोस / तरल जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से निपटान किया जा रहा है।

(अनुसंशा 13)

- यूएलबी को निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट के संग्रह के लिए उचित कंटेनर रखने चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न सी एंड डी अपशिष्ट के लिए प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान करनी चाहिए।

(अनुसंशा 14)

V निगरानी

- सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से मौजूदा नियमों का अनुपालन करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के निष्पादन की निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए। सरकार को कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को भी चालू करना चाहिए और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

(अनुसंशा 15)

सुश्री अनिता दास
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य

"बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने,
कहने-सुनने को बहुत हैं अफसाने,
खुली हवा में ज़रा साँस तो ले लें,
कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने?"

नवजात शिशु का क्रंदन बाहरी दुनिया के प्रति उसकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की इच्छा किसी व्यक्ति की भावनाओं, कल्पनाओं एवं चिंतन से प्रेरित होती है और अपनी-अपनी क्षमता के अनुरूप होती है।

अपनी भावना या अपने मत को अभिव्यक्ति करने की आकांक्षा कभी-कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य अकेला होने पर अपने-आपसे बातें करने लगता है। परंतु अभिव्यक्ति की निर्दोषता या सदोषता का सवाल तभी खड़ा होता है, जब अभिव्यक्ति संवाद का रूप ग्रहण करती है-व्यक्तियों के बीच या समूहों के बीच।

विचारों का आदान-प्रदान मानव-सभ्यता की शुरूआत से ही जुड़ा हुआ है। विचारों के आदान-प्रदान से मानव का वैयक्तिक विकास तो होता ही है, साथ ही समाज की सामाजिकता भी इसी से बनती है और उसका विकास भी होता है। वैसे, शायद ही कभी सभ्यता के इतिहास में अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, यद्यपि हर युग में प्राधिकार ऐसे दावे करते रहे हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय दो प्रकार के संवादों से है-एक तो मीडिया के द्वारा सूचनात्मक और दूसरा व्यक्ति के स्तर पर विचारों या मतों का प्रकाशन।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचनाओं के स्वतंत्र प्रसार से समस्त राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है-विशेषकर आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रसंगों में और प्रजातंत्र में 'प्रेस' को एक सचेतक कहा गया है जो समस्त राजनीतिक दुर्व्यापारों पर कड़ी निगरानी रखता है, प्रजातंत्र को सही दिशा देता है।

प्रजातंत्र में प्रेस दोहरी भूमिका निभाता है-एक ओर वह किसी रचनात्मक प्रवृत्ति के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है और जनमत से सरकार को परिचित कराता है तथा दूसरी ओर, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से वह जनता को परिचित कराता है। यदि सरकार की

नीतियां एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित में हैं तो प्रेस के माध्यम से सरकार को जन-समर्थन भी मिलता है।

परंतु, सूचनाओं के प्रस्तुतीकरण पर किसी न किसी प्रकार के पूर्वाग्रह चाहे वह राजनीतिक हो या प्रजातीय हो अथवा सामाजिक पूर्वाग्रह हो, के प्रभाव की संभावना रहती ही है। इसी से कभी-कभी किसी 'समाचार' को दुर्भावना से प्रेरित घोषित कर दिया जाता है।

"नर्म अल्फाज़ भली बातें मोहज़्ज़ब लहजे,
पहली बारिश ही में ये रंग उतर जाते हैं..."

परंतु अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तो संसार में कहीं है ही नहीं। हमारा संविधान भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, परंतु कुछ 'हिदायतों' के साथ कि उस अभिव्यक्ति का प्रभाव देश की एकता, अखण्डता एवं सम्प्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए; सामाजिक व्यवस्था या सौहार्द को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए और अभिव्यक्ति दुर्भावनापूर्ण नहीं होनी चाहिए।

कोई भी व्यक्ति गाली देने या किसी को अपमानित करने की स्वतंत्रता दिए जाने की वकालत नहीं कर सकता। परंतु किसी व्यक्ति के विचारों, दृष्टिकोणों एवं धारणाओं की अभिव्यक्ति की युक्तियुक्तता पर नियंत्रक उपाय लगाना बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी यह सोचता है कि उसके विचार स्वतंत्र हैं, किंतु क्या इन सभी स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देना उचित होगा ?

यदि किसी व्यक्ति के विचार सामाजिक मान्यताओं एवं विश्वासों के विरूद्ध हैं और इससे सामाजिक स्वास्थ्य पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

परंतु यहां यह प्रश्न उठता है कि आखिर बुद्ध, महावीर ईसा मसीह, पैगम्बर मुहम्मद आदि के विचार भी तो सामाजिक मान्यताओं के प्रतिकूल थे, फिर प्रतिकूल विचारों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए ?..... जाहिर है, जो आलोचना सामाजिक स्वास्थ्य के लिए लाभकर हो तथा उसकी अभिव्यक्ति में कोई बुराई नहीं हो, पर जो आलोचना केवल सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए पैदा की जाती है, उस पर प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए।

सामान्यत:, विश्वस्तर पर उदारवादियों एवं प्रगतिशील विचारकों का मुख्य विरोध कलात्मक अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रहार के खिलाफ है। चाहे वह साहित्य पर प्रतिबंध के रूप में हो या फिल्म पर सेंसर के रूप में या किसी अन्य प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति में।

इसमें तो शायद कोई दो राय नहीं कि वीभत्स अश्लीलता एवं क्रूर हिंसा की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। परंतु शेष अन्य विचारों या धारणाओं के स्तर पर कोई प्रतिबंध उचित नहीं है-कलाकार को सर्जना की और दर्शक-पाठक को उनमें अपनी पसंद के चयन की छूट होनी ही चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस पूरे विवाद में पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक 'विस्तृत मानसिकता वाले समझे जाते हैं और इसके विरोधी पिछड़े, रूढ़िवादी और संकीर्ण मानसिकतावादी'। निश्चित रूप से समाज में आज दोनों ही श्रेणियों के लोग रूढ़िवादी नजर आते हैं।

पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हाय-तौबा मचाने वाले अभिव्यक्ति को बस एकपक्षीय मानने की भूल करते हैं और विरोधी अपनी भावनाओं को इतना महत्व दे देते हैं कि उनके लिए वह गले की हड्डी बन जाती है।

आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी व्यक्ति समझौतावादी रुख अपनाता ही नहीं है-या तो कोई विचार पूरी तरह गलत सिद्ध किया जाता है या पूरी तरह सही। संवाद के दोनों पक्ष बिल्कुल दो समानांतर धाराओं में चलते हैं, सम्मिलन की कोई संभावना ही नहीं होती।

या तो विरोध में मौत के फतवे जारी हो जाते हैं या समर्थन में लम्बी-चौड़ी बहस। मनुष्य आज सर्वत्र अपनी सहिष्णुता खोता जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उदार दृष्टिकोण कभी-कभी एक अच्छी-खासी भोली-भाली जनसंख्या को फासीवादी बना देता है, साम्प्रदायिक बना देता हैं-गुमराह कर देता है।

निश्चित रूप से ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना ही चाहिए। अपने विचारों एवं धारणाओं के प्रति एक तर्कपूर्ण दृष्टिकोण तो रखना ही चाहिए, जैसे-हम अपने भाई-दोस्त से बहुत प्यार करें, यह अच्छी बात है; परंतु जब उनका किसी दूसरे से झगड़ा हो जाए तो दूसरे के पक्ष को भी सुनने से प्यार कम नहीं हो जाता। यदि ऐसा ही दृष्टिकोण हम अपने विचारों के प्रति भी रखें तो कोई विवाद ही नहीं होगा।

वस्तुत: धार्मिक रूढ़िवाद एवं बौद्धिक रूढ़िवाद-दोनों ही विचारों की स्वस्थ अभिव्यक्ति में बाधक हैं। व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के प्रति खुद सतर्कता बरतनी चाहिए। जैसे मनुष्य अपने चलने के अधिकार का प्रयोग कर समुद्र पर चलने या कुएं में गिरने की कोशिश नहीं करता; उसी प्रकार उसे अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग अपने को अनैतिक या धूर्त बनाने के लिए भी नहीं करना चाहिए।

यदि इस तरह की प्रवृत्ति मनुष्य अपने अंदर विकसित कर ले तो संसार की विभिन्न सरकारें अपना ज्यादा वक्त मानव-संसाधन के विकास में लगा सकेंगी। अभिव्यक्ति स्वातंन्य की निर्दोषता अथवा सदोषता कभी स्पष्टत: निरपेक्ष नहीं हो सकती-पूर्ण नहीं हो सकती।

जो मानदण्ड आज की तारीख में उचित एवं प्रासंगिक हैं, वे कल भी उचित एवं प्रासंगिक हों-यह आवश्यक नहीं है। विचार बदलते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं, सामाजिक मानदण्ड बदलते हैं और यह काम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा भी हो सकता है-इन्हें सामान्य ढंग से लेना चाहिए और यह संभवत: सही सोच है कि परिवर्तन हमेशा बेहतरी लाता है।

ऑडिट दिवस – 2023 - एक रिपोर्ट

भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (SAI) भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 1858 में हुई। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद, 1950 में भारत के संविधान को अपनाने के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को एक संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की भूमिका ब्रिटिश भारत में कानूनों और प्रथाओं के माध्यम से विकसित हुई और 1947 के बाद स्वतंत्र भारत में हम इस इतिहास को चिह्नित करने के लिए 16 नवंबर को 'लेखापरीक्षा दिवस' के रूप में मनाते हैं।

लेखापरीक्षा दिवस 2023 भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के इतिहास और विरासत को चिह्नित करने वाले समारोहों की श्रृंखला में तीसरा है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 16 नवंबर, 2023 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली में लेखापरीक्षा दिवस 2023 का उद्घाटन किया और इस शुभ अवसर पर हमें संबोधित किया।

तीसरे लेखापरीक्षा दिवस के बाद 31वां महालेखाकार सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय 'ड्राइविंग चेंज 2030: एम्पावरिंग एक्शन टू शेप अवर फ्यूचर' था। हमारे हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज तक पहुंच बढ़ाने और अच्छे सार्वजनिक प्रशासन के प्रति हमारे योगदान को प्रदर्शित करने के लिए लेखापरीक्षा दिवस के तुरंत बाद सप्ताह के दौरान देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों में ऑडिट सप्ताह भी मनाया गया।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के केरल में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 22 से 24 नवबर 2023 तक लेखापरीक्षा सप्ताह धूम-धाम से मनाया गया। कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए कार्यालयाध्यक्षों द्वारा विभिन्न समितियां गठित की गयी थी और उन समितियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात-दिन कडी मेहनत की।

दि. 22/11/2023 को निबंध लेखन, रंगोली जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ समारोह प्रारंभ हुआ। मुख्य कार्यालय के साथ कोट्टयम, कोच्ची, तृशूर तथा कोषिक्कोड स्थित चार शाखा कार्यालयों में प्रतियोगिताएं चलायी गयी थीं। कार्यालय के कर्मियों के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी।

लेखापरीक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित साइकिल रैली समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। राजधानी शहर तिरुवनंतपुरम में दि. 23/11/2023 को सुबह 6.30 बजे एक साइकिल रैली आयोजित हुई थी। कवडियार पालस के सामने से रैली शुरु हुई थी जिसका फ्लाग ऑफ केरल सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री जयतिलक एस, आईएएस द्वारा किया गया था। श्री एस सुनील राज, आईएएएस प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और श्रीमती अतूर्वा सिन्हा, आईएएएस, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और समूह अधिकारीगण भी मौजूद रहे। पिछली रात से देर सुबह तक हुई भारी वर्षा की परवाह किए बिना लगभग 150 अधिकारियों / पदाधिकारियों ने इस रैली में भाग लिया। रैली पांच कि.मी की दूरी तय कर तिरुवनंतपुरम के मुख्य कार्यालय में खत्म हुई। रैली के साथ एक एम्बुलेंस और फिसियोथेरापिस्ट की सेवा भी उपलब्ध करायी गयी थी।

दि. 23/11/2023 के दिन अपराह्न को मुख्य कार्यालय में एक इंटर-ऑफिस डिबेट भी चलायी गयी थी। डिबेट का संचालन श्री हरिकुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा किया गया और उसका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्य डॉ राहुल पा, उप महालेखाकार / एएमजी I तथा श्री बाषा मोहम्मद एम, उप महालेखाकार प्रशासन (लेखा एवं हकदारी) द्वारा किया गया था। महानिदेशक (केंद्रीय) कोच्ची शाखा कार्यालय के श्री नवीन ए मेनोन तथा श्री मारम रेड्डी विनय को प्रथम पुरस्कार हुआ। महानिदेशक, लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार) शाखा कार्यालय, तिरुवनंतपुरम के श्री सायूज एन एस तथा श्री मधु ई वी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

दि. 24/11/2023 को समापन समारोह का शुभारंभ लेखा एवं हकदारी कार्यालय के प्रधान महालेखाकार, श्रीमती अतूर्वा सिन्हा, आईएएंडएएस, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा नवीनीकृत शिशुगृह के उत्घाटन के साथ हुआ। श्री एस सुनील राज, आईएएएस प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) भी उस शुभ घडी में उनके साथ रहे। पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्यालय परिसर आयोजित होने के लिए निर्धारित 'स्थानीय स्वशासित संस्थाओं द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में चुनौतियों' पर पैनल चर्चा सुबह 10.30 बजे आरंभ हुई। श्री एस सुनील राज, आईएएएस प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) पैनल चर्चा के मॉडरेटर रहे। पैनल चर्चा के लिए आमंत्रित सदस्य – सुश्री पी पी दिव्या, जिला पंचायत, कण्णूर की अध्यक्षा, श्री एस एस विजयानंद, आईएएस (सेवानिवृत्त), सुश्री शर्मिला मेरी जोसफ,आईएएस (प्रधान सचिव, एलएसजी विभाग), प्रो.जिजु पी अलेक्स, केरला स्टेट प्लैनिंग बोर्ड के सदस्य, श्री विजु मोहन, आर्यनाड ग्राम पंचायत के अध्यक्ष आदि थे। श्रोतागण में श्रीमती अतूर्वा सिन्हा, आईएएंडएएस, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), श्रीमती सबिता बालकृष्णन, निदेशक (एफ एंड सी) लेखापरीक्षा और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, तिरुवंनतपुरम के समूह अधिकारीगण और कर्मचारीगण शामिल थे। चर्चा के बाद श्री एस सुनील राज, आईएएएस

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा उपरोक्त सदस्यों को लेखापरीक्षा दिवस स्मृति चिह्न हस्तांतरित किए गए।

पैनल चर्चा के बाद उपरोक्त सभी गणमान्य व्यक्तियों और भागीदार कार्यालयों के कर्मी सदस्यों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गयी थी।

दोपहर के बाद 3.30 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कर्मी सदस्यों के प्रार्थना गान के साथ सभा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन पेरावूर के विधायक और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष श्री सण्णी जोसफ द्वारा किया गया। विधायक ने अपने भाषण में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका एवं लेखापरीक्षा रिपोर्टों के महत्व, प्रासंगिकता/प्रभाव को रेखांकित किया। बाद में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) भी बैठक को संबोधित किया। विधायक द्वारा सभी प्रतियोगिताओं के सदस्यों को पुरस्कार वितरित किए गए।

बैठक के बाद कर्मियों और उनके परिवार सदस्यों के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका सुश्री प्रतिमा शशिधर द्वारा शास्त्रीय संगीत प्रस्तुति श्रोतागण को मंत्रमुग्ध कर दी। सुश्री प्रतिमा शशिधर, महानिदेशक (केंद्रीय) के कोच्ची शाखा के उप निदेशक श्री शशिधर की धर्मपत्नी है। उसके बाद वाद्ययंत्रों के ताल-मेल से श्री केशवन नंपूतिरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने बांसुरी पर, श्री सानंद के एस, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने वयलिन पर और श्री श्रीकुमार, वरिष्ठ लेखाकार ने मृदंगम पर अपनी अत्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। श्री साईकुमार, लेखापरीक्षक की सुपुत्री कुमारी निहिता साई कुमार जोकि गिन्नस रिकार्ड हॉल्डर है, ने कुच्चिप्पुडी डांस प्रस्तुत किया। श्री अनुरूप एस के, के नेतृत्व में महालेखाकार कार्यालय मनोरंजन क्लब टीम द्वारा प्रस्तुत समूह गान के साथ इस वर्ष का लेखापरीक्षा सप्ताह समारोह संपन्न हुआ।

भारत का उच्चतम न्यायलय

श्रीमती सुनीता
पत्नीः श्री शशि कुमार, लेखापरीक्षक

भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन (अमेरिका से लिया गया) की शक्ति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और इसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ होती हैं।

28 जनवरी 1950, भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद, भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन समारोह का आयोजन संसद भवन के नरेंद्रमण्डल (चेंबर ऑफ प्रिंसेज) भवन में किया गया था। इससे पहले सन् 1937 से 1950 तक चेंबर ऑफ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन था। स्वतंत्रता के पश्चात भी सन् 1958 तक चेंबर ऑफ प्रिंसेस ही भारत के उच्चतम न्यायालय का भवन था, जब तक कि 1958 में उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्तमान तिलक मार्ग, नई दिल्ली स्थित परिसर का अधिग्रहण किया।

सुप्रीम कोर्ट भवन के मुख्य ब्लॉक को भारत की राजधानी नई दिल्ली में तिलक रोड में स्थित 22 एकड़ जमीन के एक वर्गाकार भूखण्ड पर बनाया गया। निर्माण का डिजाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भीकाजी देवलालीकर द्वारा इंडो-ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया था। न्यायालय 1958 में वर्तमान इमारत में स्थानांतरित किया गया। भवन को न्याय के तराजू की छवि देने की वास्तुकारों की कोशिश के अंतर्गत भवन के केंद्रीय ब्लॉक को इस तरह बनाया गया है कि वह तराजू के केंद्रीय बीम की तरह लगे। 1979 में दो नए हिस्से पूर्व क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र को 1958 में बने परिसर में जोड़ा गया। कुल मिलाकर इस परिसर में 154 अदालती कमरे हैं। मुख्य न्यायाधीश की अदालत जो कि केंद्रीय विंग के केंद्र में स्थित है, सबसे बड़ा अदालती कार्यवाही का कमरा है। इसमें एक ऊँची छत के साथ एक बड़ा गुबंद है।

भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था और इस संस्था को बढ़ाने का दायित्व संसद पर छोड़ा गया था। प्रारंभिक वर्षों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूरी पीठ एक साथ बैठा करती थी। जैसे-जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ने लगे, भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को आठ से बढ़ाकर 1956 में ग्यारह (11), 1960 में चौदह (14), 1978 में अठारह (18),

1986 में छब्बीस (26), 2008 में इकत्तीस (31) और 2019 में चौतीस (34) तक कर दिया गया। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, वर्तमान में वे दो या तीन की छोटी न्यायापीठों(जिन्हें 'खंडपीठ' कहा जाता है) के रूप में सुनवाई करते हैं। संवैधानिक मामले और ऐसे मामले जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी हो, की सुनवाई पाँच या इससे अधिक न्यायाधीशों की पाठ जिसे 'संवैधानिक पीठ' कहा जाता है। कोई भी पीठ किसी भी विचाराधीन मामले को आवश्यकता पड़ने पर संख्या में बड़ी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज सकती है।

मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्य

भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है जो 65 वर्ष की आयु तक पहुँचने तक या महाभियोग द्वारा हटाए जाने तक सेवा करेगा। परंपरा के अनुसार वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया नाम लगभग हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। हालांकि इस सम्मेलन को दो बार निरस्त किया गया था। 1973 में न्यायमूर्ति ए एन रे को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थान पर नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 1977 में न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग को न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना की जगह मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं जो कानून के महत्वपूर्ण मामलों से निपटते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 और सर्वोच्च न्यायालय प्रक्रिया के नियम 1966 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को सभी कार्य आवंटित करता है जो किसी भी मामले को वापस उन्हें पुनः आवंटन के लिए संदर्भित करने के लिए बाध्य हैं और अधिक न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा इस पर गौर करने की आवश्यकता है।

प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के रखरखाव अदालत के अधिकारियों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण और कामकाज से संबंधित सामान्य और विविध मामलों का कार्य करता है। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।

जैसे ही मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के करीब पहुँचते हैं, कानून और न्याय मंत्रालय मौजूदा मुख्य न्यायाधीश से सिफारिश माँगता है। अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श भी हो सकता है। फिर सिफारिश को प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया जाता है जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाना है और फिर उसे ही बनाया जाता है।

भारत का संविधान भारत की संसद को पारिश्रमिक के साथ-साथ मुख्य न्यायाधीश की सेवा की अन्य शर्तों को तय करने की शक्ति देता है। तदनुसार, इस तरह के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में निर्धारित किए गए हैं। छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के बाद एस पारिश्रमिक को 2006-2008 में संशोधित किया गया था। 2016 में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में संशोधन किया गया है।

2018 में एक अभूतपूर्व अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ बात की। यद्यपि मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कर्तव्यों को सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समकक्ष माना गया है। मिश्रा के तहत अदालत ने मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में स्थापित किया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश अकेले के पास गठित करने का विशेषाधिकार है। अदालत की पीठें और इस तरह गठित पीठों को मामले आवंटित करते हैं। भले ही मामले में मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोप शामिल हों। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के कारण के सिद्धांत का उल्लंघन करने का प्रावधान बनाया गया।

राष्ट्रपति (कार्यें का निर्वहन) अधिनियम, 1969 निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने की स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यकाल में मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति वी वी गिरि ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में गिरि ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला तब भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने एक महीने बाद पदभार ग्रहण किया तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वापसी की थी।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 (4) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है जो मुख्य न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। एक बार नियुक्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं किया गया है। उन्हें केवल संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और कम से कम दो के बहुमत द्वारा पारित एक अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति के आदेश को पारित किया गया हो, उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में इस तरह के निष्कासन के लिए साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर पेश किया गया है।

राजभाषा उत्सव 2023

भारतीयों के लिए हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि एक भावना है। 14 सितंबर इसी भावना को मनाने के लिए समर्पित दिन है। भारतीय इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह संघ सरकार की राजभाषा है और संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की याद दिलाता है।

हिंदी दिवस के अवसर पर हमें राजभाषा का सम्मान करने और इसके प्रगामी प्रयोग के लिए आवश्यक कदम उठाने की शपथ लेनी चाहिए। हिंदी दिवस का उत्सव भाषाई और सांस्कृतिक बहुलवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हिन्दी दिवस 2023 एवं तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे

हिन्दी दिवस 2023 और तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 13 और 14 सितंबर को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग द्वारा पुणे, महाराष्ट्र के बलेवादी में स्थित शिव छत्रपती स्पोर्ट्स कॉमप्लेक्स में आयोजित किया गया। पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन नवंबर 2021 में वाराणसी में आयोजित हुआ था तो दूसरा सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित हुआ था और दोनों ही सम्मेलनों ने हजारों प्रतिभागियों की भीड़ के होते हुए अत्यंत सफल रहा। और इन दोनों सम्मेलनों के भांति 2023 के सम्मेलन में भी हिन्दी से प्यार करने वाले हजारों ने भाग लिया। बैंकिंग, शिक्षा आदि की क्षेत्रों से लेकर केंद्र सरकार के अधीन मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों आदि से हिन्दी अधिकारी, अनुवादक या हिन्दी से जुड़े कार्य सम्पन्न करने वाले हजारों कर्मचारियों और भाषा विद्वानों ने इस सम्मेलन के शोभा बढाई।

हिन्दी के विकास और प्रचालन से संबंधित कई सारे क्रियात्मक चरचाओं के लिए यह एक उत्तम मंच साबित हुए। हिन्दी की विकास में मीडिया और अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका से लेकर हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में रोजगार, भारतीय सिनेमा आदि कई पहलुओं पर चर्चे हुई और राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को "राजभाषा गौरव" और "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार दिए गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में उपस्थित महानिदेशक(राजभाषा) को 2022-23 के लिए 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय/विभाग श्रेणी में, राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा के हाथों से सरवोच्च "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" प्रदान किया गया। सम्मेलन के उदघाटन के दौरान अनुवाद टूल 'कंठस्थ 2.0' और ई-ऑफीस के इंटग्रैशन का लोकार्पण भी किए गए।

14 सितंबर 2023 को हुई उदखाटन सत्र में सभा अध्यक्ष माननीय गृह मंत्रि श्री अमित शाह थे, जिन्होंने अपने विडिओ संदेश के माध्यम से सम्मेलन की शोभा बढ़ाया। केन्द्रीय राज्य मंत्री बहराती पवार, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्त्रहरी महताब, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीशनाथ झा, राजभाषा विभाग के सचिव अंशुली आर्य, संयुक्त सचिव डॉ मीनाक्षी जौली आदि भी अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढाई। विस्व स्तर पर हिन्दी की बढ़ती मान पर रोशनी डालते हुए श्री अजय मिश्रा ने हाल ही में हुई जी-

20 सम्मेलन के जिक्र करते हुए कहा कि हिन्दी की बढ़ावा हेतु श्री नरेंद्र मोदी के नीतियों के फलस्वरूप सभी राष्ट्र प्रमुखों ने हिन्दी का प्रशंसा करने के साथ साथ हिन्दी में प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने का प्रयत्न भी किया। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी अपने वीडियो संदेश में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के बढ़ते वर्चस्व को दर्शाते हुए भारतीय भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने के संदर्भ में हिन्दी का महत्व पर जोर दिया।

मशहूर साहित्यकार हरीश नवाल और हिन्दी अखबार 'आज का आनंद' के संस्थापक श्याम अग्रवाल ने हिन्दी के विकास में साहित्य और मीडिया की भूमिका को समझाने की प्रयत्न की जिसके दौरान रेडियो, नाटकों और टी वी धारावाहिकों का विशेष जिक्र हुआ।हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में रोजगार के बढ़ते अवसर भी चर्चा के विषय बने जिसपर हिन्दी संबंधित रोजगार का एक प्रमुख स्रोत - न्यूज मीडिया - के ओर से जब 24 न्यूज चैनल की पत्रकार रुबिका लियाकत ने अपने विचार व्यक्त किए तो सरकारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्यप्रदेश के रवि कुमार सिहग, आई ए एस, राजस्थान से निशांत जैन आई ए एस और उत्तरप्रदेश सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने अपने बहुमूल्य विचार रखे।

सम्मेलन के दूसरे दिन 15 सितंबर के कार्यक्रम 4 सत्रों में बाँटे गए थे जिसके दौरान हिन्दी भाषा के विविध गुणों एवं भाषा कार्यान्वयन से संबंधित की पहलुओं पर भाषण हुए। इसमें पहला था अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी के अटूट संबंध को दर्शाते हुए "भारतीय भाषाओं से सशक्त होती हिन्दी" विषय पर उत्तरप्रदेश विधान सभा के पुरवाध्यक्ष श्री हरीनारायण दीक्षित, केन्द्रीय भाषा संस्थान के अध्यक्ष श्री चामू कृष्ण शास्त्री, वरिष्ठ साहित्यकार प्रो सुरेश ऋतुपर्ण और मराठी भाषा विद श्री दामोदर खड़से द्वारा सजाए गए ज्ञान की बारात। दूसरे सत्र नराकास पर केंद्रित था और "नराकास: राजभाषा कार्यान्वयन का प्रभावशाली मंच" विषय पर विविध मान्यवारों ने अपने विचार व्यक्त की और इसके साथ ही केंद्र सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नराकास पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।

हिन्दी भाषा के विविध गुणों पर जोर देते हुए जब महाराष्ट्र हिन्दी परिषद की उपाध्यक्ष सुश्री प्रियंका शक्ति ठाकुर ने "सर्वसुलभ, सर्वसमावेशी और सर्व व्यापी भाषा- हिन्दी" विषय पर स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक पन्नों को साक्षी बनाकर अपने विचार व्यक्त किए तो आखिरी सत्र को अतिसुन्दर बनाया विख्यात अभिनेता श्रीमान आशुतोष राणा ने जिनके साक्षात्कार जब वरिष्ठ कवि, गीतकार और टी वी पत्रकार आलोक श्रीवास्तव ने लिया तो पूरी मंच के लिए यह एक अतिसुन्दर अनुभव साबित हुआ।

हिंदी पखवाड़ा समारोह – प्रधान महालेखाकारों के कार्यालय, केरल

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), केरल के कार्यालय, तिरुवनंतपुरम के संयुक्त तत्वावधान में दि. 14.09.2023 से 29.09.2023 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह 2023 समुचित रूप से मनाया गया । कोरोना महामारी के कारण पिछले कुछ सालों से हमारे कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा ऑनलाइन रूप से मनाया जा रहा था । इस वर्ष का हिंदी पखवाड़ा इसीलिए महत्वपूर्ण और बहुत ही आनंददायक रहा क्योंकि यह ऑफलाईन रूप से मनाया गया था । राजभाषा विभाग के आदेशानुसार पिछले तीन सालों से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिंदी दिवस के दिन राष्ट्रीय तौर पर हिंदी पखवाड़े

का शुभारंभ हो रहा है । 14 सितम्बर 2023 को हिंदी दिवस के दिन कार्यालय के सभी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों / सहायक लेखा अधिकारियों ने संबंधित अनुभागों के सभी सदस्यों की भागीदारी के साथ पूर्वाह्न 11 बजे संविधान द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करने की राजभाषा प्रतिज्ञा लेकर **"हिंदी दिवस"** का पालन किया ।

दि. 18.09.2023 पूर्वाह्न 10.30 बजे प्रतियोगिताओं का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया । संयुक्त पखवाड़ा आयोजन समिति संयोजक, श्रीमती यशोदा, वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशा. एवं एएमजी I (लेखापरीक्षा-II) ने दीप प्रोज्वलित कर समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यकलापों की सराहना की और अधिक ऊँचाईयाँ छूने का आह्वान किया । श्री पी के लालू, वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशा. (लेखापरीक्षा I) तथा श्री बिजु जोसेफ, उप महालेखाकार (हकदारी) भी बैठक में उपस्थित रहे । प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह का संचालन, के आर रोहिणी, हिंदी अधिकारी (लेखा व हकदारी) द्वारा किया गया । प्रतियोगिताओं की शुरुआत निबंध लेखन से हुई ।

तदुपरांत पखवाड़े के सिलसिले में तीनों कार्यालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए हिंदी में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं चलायी गयीं । ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था - निबंध लेखन व टिप्पण एवं लेखन, प्रशासनिक हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी में और विलोमत: अनुवाद, कथा रचना, कविता रचना, कविता पाठ, आशुभाषण, हिंदी गीत एकल – महिला, हिंदी गीत एकल – पुरुष, समूह गान, प्रश्नोत्तरी और अंताक्षरी आदि ।

दि.18.09.2023 से दि.22.09.2023 तक कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी । समूह गान प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने 5-5 लोगो का समूह बनाकर सुंदर - सुंदर गीत प्रस्तुत किए । हिंदी गीत एकल (पुरुष एवं महिला) प्रतियोगिता में भी भागीदारी अच्छी रही । चूंकि हिंदी पखवाड़े का आयोजन ऑफलाइन माध्यम से काफी समय के बाद हो रहा था, सभी प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया । दि.26.09.2023 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 12.30 बजे तक अधिकारियों के लिए राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

29 सितंबर को पूर्वाह्न 11.30 बजे हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में डॉ बिजु जेकब, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) सभा के अध्यक्ष रहे। श्री पी के लालू, वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशा. (लेखापरीक्षा I) के स्वागत भाषण के साथ समारोह का शुभारंभ हुआ। तदुपरांत श्रीमती के आर रोहिणी, हिंदी अधिकारी (लेखा व हकदारी) ने भारत के आदरणीय गृह मंत्री का विडियो संदेश का प्रस्तुतीकरण किया।

हिंदी पखवाड़े के सिलसिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशा. एवं एएमजी I (लेखापरीक्षा-II) तथा उप महालेखाकार/प्रशा. (लेखा व हकदारी) द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। श्रीमती यशोदा, वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशा. एवं एएमजी I ने हिंदी पखवाड़ा 2023 के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को धन्यवाद अर्पित किया।

श्री दीपक चिल्लर
डी ई ओ

हरिशंकर परसाई के व्यंग्य

हरिशंकर परसाई हिंदी के बड़े व्यंग्यकार ही नहीं बल्कि हिंदी के बड़े लेखक थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी है। व्यंग्य लेखन मामूली विधा नहीं है बल्कि इसके लेखन के लिए समाज में सक्रिय उपस्थिति या भागीदारी का होना अति आवश्यक है। उन्होंने व्यंग्य लेखन को चटपटा बनाए रखा, उन्होंने इसे स्वाभाविकता से कभी हटने नहीं दिया अपने व्यंग्य को उन्होंने काल के पार ले जाकर खड़ा किया।

परसाई उन गिने चुने लेखकों में से एक हैं। अपने व्यंग्य से पाठक को गहरी संवेदना से जोड़कर यथार्थ के सामने खड़ा करते थे जहाँ से चीज़ें और ज़्यादा साफ नज़र आती हैं। वे हमेशा लेखन और सामाजिक अनुभवों के अंतर्संबंधों की बात करते थे। यही कारण था कि उन्होंने राजनीति के साथ-साथ समाज की दोहरी नैतिकता को भी बहुत धार के साथ लिखा। अपेक्षा और अपेक्षाओं के द्वंद में ईमानदार और भले आदमी की दुर्गति और यातनाएं भी उनसे अलक्षित नहीं रही। उनकी दृष्टि कभी इकहरी नहीं थी। लेखक चला जाए लेकिन उसका लेखन हर कालखंड में प्रासंगिक बना रहे ये आसान बात नहीं है।

वे कल्पना और यथार्थ को आपस में कभी उलझाते नहीं थे, बल्कि उनकी परस्पर निर्भरता इतनी बढ़ा देते थे कि वह सामाजिक-राजनीतिक समाज का यथार्थ दृश्य लगता था। जहाँ भी मौका मिले उन्होंने अपने शब्द संयोजन से समाज की बुरी परंपराओं पर

गहरा प्रकाश डाला है। गुस्सा, अलगाव, अपराध जैसी मनोस्थितियों को भी उन्होने पर्याप्त जगह अपने लेखन में दी है।

लेखन में अनुभव बड़ा महत्त्व रखता है क्योंकि हर साहित्यिक रचना अंततः अनुभव की रचना होती है। परसाई जी की यह बड़ी विशेषता है कि वे अगर किसी व्यक्ति पर भी लिख रहे होते तो उनकी रचना में समाज केंद्र में आ ही जाता है तो ये समाज निरपेक्ष नहीं थे। इसलिए उनके लेखन में सरोकार का बड़ा महत्त्व था। हरिशंकर परसाई के लेखन की तेज़ धार को उनके ही कुछ कहे गए वाक्यों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं-

- "मैं सुधार के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए लिखना चाहता हूँ यानी कोशिश करता हूँ चेतना में हलचल हो जाए। कोई असंगति नज़र के सामने आ जाए। इतना काफी है, सुधरने वाले खुद अपनी चेतना से सुधरते हैं।"
- "क्रांति इस देश में भुनी हुई मूँगफली हो गई है। इसके खोमचे लगे हैं, जिसे देखो वही पचीस पैसे में क्रांति की मूँगफली का पुड़ा लेता है और छीलकर खाने लगता है।"
- "हम मानसिक रूप से दोगले नहीं तिगले हैं। संस्कारों से सामन्तवादी हैं, जीवन मूल्य अर्ध पूँजीवादी हैं और बातें समाजवाद की करते हैं।"
- "हमारे कई नशे हैं- भ्रम का नशा, संप्रदाय का, जाति का और सबसे बड़ा नशा अपने को पवित्र मानने का।"
- "सबका उदय एक साथ कैसे हो सकता है। मुनाफाखोर माल दबाए बैठा है और गरीब झोला लिए लाइन में खड़ा है, दोनों का उदय कैसे होगा, क्रांति और भ्रांति में थोड़ा-सा अंतर होता है। कभी-कभी भ्रांति को भी क्रांति समझ लिया जाता है।"

- "कितने लोग हैं, जिन्हें मरना किसी और कारण से था, मगर मर किसी और कारण से जाते हैं। मरना किसी क्रांतिकारी आंदोलन में था, मगर इस बीच प्रेमिका धोखा दे गई तो नदी में कूदकर मर गए।"
- "जो मत नहीं देते, वे बधाई देने पहले पहुँचते हैं, जो सबसे पहले आपके गले में माला डाले, उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझिए।"
- "सत्य की खोज करने वालों से अक्सर मैं छटकता हूँ, वे अक्सर सत्य की तरफ ही पीठ करके उसे खोजने लगते हैं।"

-इस तरह परसाई जी एक ऐसे व्यंग्य लेखक हैं जिन्होंने भाषा के रूपों में वो महानता हासिल कर ली है जैसे शरीर के अंगों की भंगिमाओं से चार्ली चैप्लिन ने कर ली थी।

चलिए अब आगे बढ़ते हैं; व्यंग्य हमेशा पावरफुल का मखौल है, उसका पोस्टर फाड़ना है और उसके अन्यायपूर्ण रवैये की आलोचना करना है। एक सजग व्यंग्यकार कभी भी चुप नहीं रह सकता। हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य को एक साहित्यिक ऊंचाई दी, भारतीय समाज की कठोरता दोहरापन और निराशा को परसाई जी ने बखूबी अपने लेखन में दर्शाया है। परसाई जी हमेशा से एक बेहतर समाज की रचना के दायित्व से प्रेरित रहकर अपने रचनाकर्म में संलग्न रहे। वह लेखन को साहित्य के ज़रिए समाज की सफाई करने का काम मानते थे, साथ ही ज़रूरी और सम्मानजनक भी। हरीशंकर परसाई एक स्वतंत्र प्रकृति के लेखक हैं। वो किसी बने बनाए फ़ार्मूले में बंध कर नहीं लिखते थे। उनके गद्य में खिलखिलाहट है, लेकिन वो हमें भीतर तक बेचैन करने वाला है। परसाई जी का लेखन निबंध, कहानी, लघु उपन्यास, संस्मरण, पत्रों यानी कि हरेक विधा में प्रयोग किया गया है। परसाई जी ने वैसे तो अपने समय के सभी समकालीन घटनाक्रम के बारे में लिखा है, लेकिन उनके लेखन में मध्यमवर्गीय नैतिकता को लेकर हरेक पहलू को छूने की कोशिश की गई है।

परसाई जी का एक निबंध है- बेईमानी की परत। यह आज़ादी मिलने के 17 साल बाद का लिखा हुआ है जिसमें वे कहते हैं कि- 'मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि जिनकी तोंदें इन सत्रह सालों में बढ़ी हैं, जिनके चेहरे सुर्ख हुए हैं, जिनके शरीर पर मांस आया है, जिनकी चर्बी बढ़ी है- उनके भोजन का एक प्रयोगशाला में विश्लेषण करने पर पता चला है कि वे अनाज नहीं खाते थे; चंदा, घूस, काला पैसा, दूसरे की मेहनत का पैसा या पराया धन खाते थे। इसलिए जब कोई मोटा होता हुआ दिखता है तो सवाल उठते हैं। कोई विश्वास नहीं करता कि आदमी अपनी मेहनत से ईमान का पैसा कमाकर भी मोटा हो सकता है।

हरीशंकर परसाई एक नाराज़, असहमत और व्यवस्था के हाशिये पर खड़ा स्वातंत्र्यचेता लेखक जिसके मन और लेखन में नैतिक असहमतियों का खौलता हुआ लावा है। वे अपने लेखन में आजीवन सच के निर्भीक पक्षधर बने रहे।

> "कितने लोग हैं, जिन्हें मरना किसी और कारण से था, मगर मर किसी और कारण से जाते हैं। मरना किसी क्रांतिकारी आंदोलन में था, मगर इस बीच प्रेमिका धोखा दे गई तो नदी में कूदकर मर गए।"

परसाई जी के लेखन का सर्वाधिक उज्ज्वल पक्ष सच को सच की तरह कहने की क्षमता है। एक बार जबलपुर में उनकी लेखनी को लेकर उनपर हमला भी हो चुका है जिसमें उनका एक पैर भी टूट चुका है। इस घटना के बाद भी वो पीछे नहीं हटे बल्कि उन्होने लिखा कि "मुझे क्या पता था कि यश लिखने से अधिक पिटने से मिलता है, वरना मैं पहले ही पिटने का इंतज़ाम कर लेता।"

व्यंग्य लेखन में परसाई की दृढ़ता, सामाजिक आलोचनात्मक और कलात्मक निपुणता एक मील का पत्थर है। परसाई का व्यंग्य आपको भविष्य के लेखकों के लेखन में भी नज़र आता रहेगा।

Isabel. V. S
class IV

प्रकाशक

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय,
केरल तिरुवनंतपुरम